## अध्याय -II

## ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित अनुपालना लेखापरीक्षा आक्षेप

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किये गये व्यवहारों की नमूना जांच से प्रकट हुए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम इस अध्याय में सम्मिलित किये गये हैं।

## जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

### 2.1 *उपकर जमा कराने में विलम्ब के कारण ब्याज की परिहार्य शास्ति*

**तीनों डिस्कॉम्स द्वारा राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962 तथा उसके अन्तर्गत बनाए गये नियमों में निर्धारित समयावधि के अनुसार जल संरक्षण उपकर (डब्ल्यूसीसी) जमा करवाने के लिए कार्यविधि तैयार नहीं की गई। उचित कार्यविधि के अभाव में विद्युत उपभोक्ताओं से संग्रहण किए गए डब्ल्यूसीसी को जमा करने में विलम्ब हुआ एवं ₹ 55.42 करोड़ के ब्याज की शास्ति का दायित्व उत्पन्न हुआ।**

राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962 (आरईडी अधिनियम,1962) की धारा 3बी[1] के अन्तर्गत एक उपभोक्ता अपने स्वयं के उपयोग या उपभोग के लिए ऊर्जा पैदा करने वाले आपूर्तिकर्ता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा पर दस पैसे प्रति इकाई की दर से राज्य सरकार को देय एक उपकर जिसे ''जल संरक्षण उपकर'' (डब्ल्यूसीसी) कहा जाता है, लागू किया गया था। आरईडी नियम 1970 का नियम 3 प्रावधित करता है कि डब्ल्यूसीसी को आपूर्तिकर्ता द्वारा अपने उपभोक्ताओं से ऊर्जा बिल के माध्यम से वसूल किया जाकर इसकी प्राप्ति के माह की समाप्ति से 30 दिवसों के अन्दर राज्य सरकार को जमा करवाया जाना है। साथ ही, आरईडी अधिनियम,1962 की धारा 5 के अनुसार, निर्दिष्ट समय के अन्दर संग्रहित डब्ल्यूसीसी जमा नहीं कराने पर, आपूर्तिकर्ता 12.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

तीन[2] वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम्स) को राज्य में उपभोक्ताओं को विद्युत के आपूर्तिकर्ता होने के कारण अपने उपभोक्ताओं से निर्धारित दर से डब्ल्यूसीसी का संग्रह किया जाना आवश्यक था एवं इस प्रकार संग्रहित की गई राशि को राज्य सरकार को निर्दिष्ट समय में जमा करवाया जाना था।

---

1 वित्त अधिनियम 2009 द्वारा 8 जुलाई 2009 से प्रभावी करते हुए सम्मिलित किया गया।

2 जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जविविनिलि), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (अविविनिलि) एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जोविविनिलि)।

डब्ल्यूसीसी जमा करने से संबंधित 2009-10 से 2017-18 की अवधि के अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि **तीनों** डिस्कॉम्स ने निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं किया था एवं संग्रहित डब्ल्यूसीसी राशि को चार दिन से 2404 दिनों के मध्य विलम्ब[3] से जमा करवाया। लेखापरीक्षा ने पाया कि कर निर्धारण करते समय, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान सरकार (सीटीडी,जीओआर) ने **तीनों डिस्कॉम्स पर** 2009-10 से 2015-16 की अवधि के लिए डब्ल्यूसीसी जमा कराने में किये गये विलम्ब हेतु **₹** 48.65 करोड़ की **ब्याज की शास्ति आरोपित की** (अगस्त 2015 एवं मार्च 2017, फरवरी 2016 तथा सितंबर 2016) एवं इस संबंध में मांग पत्र जारी किए। मांग पत्र प्राप्त होने पर, **तीनों डिस्कॉम्स** ने ब्याज को माफ करने के लिए आयुक्त, सीटीडी, जीओआर, जयपुर को चार प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये (नवंबर 2015 एवं मई 2017, फरवरी 2016 तथा नवंबर 2016)। सीटीडी ने एक प्रार्थना-पत्र[4] इस तर्क पर अस्वीकार कर दिया (अगस्त 2017) कि आरईडी अधिनियम,1962 में शास्ति **ब्याज** को माफ करने का प्रावधान नहीं है एवं तदानुसार, अपेक्षित राशि को बिना किसी और विलम्ब के जमा करवाने हेतु निर्देश दिया। प्रार्थना-पत्र को अस्वीकार किये जाने के पश्चात, जोविविनिलि ने ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार से प्रकरण में हस्तक्षेप करने के लिए अनुरोध किया (फरवरी 2018) परन्तु उसने भी सीटीडी द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का समर्थन किया (मार्च 2018)। वैकल्पिक रूप में, ऊर्जा विभाग ने संबंधित डिस्कॉम को कानूनी प्रावधानों, जिसके तहत छूट मांगी गई थी, के बारे में सूचित किये जाने की भी सलाह दी, तथापि, **डिस्कॉम्स** ने मार्च 2019 तक ना तो इस संबंध में सूचित किया ना ही शास्ति ब्याज की राशि जमा करवायी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि पूर्व की अवधि हेतु मांग पत्रों की प्राप्ति एवं उनके निपटान नहीं होने के उपरान्त भी, **डिस्कॉम्स** ने निर्दिष्ट समय के अन्दर डब्ल्यूसीसी के भुगतान को सुनिश्चित/ निगरानी करने के लिए एक **कार्यविधि** तैयार नहीं की थी एवं डब्ल्यूसीसी के जमा **करने** में विलम्ब को आगामी अवधि यथा जोविविनिलि में 2016-17 से 2018-19, अविविनिलि में 2015-16 से 2018-19 व जविविनिलि में 2016-17 से 2018-19 के लिए जारी रखा। **इन** विलम्बों के लिए डिस्कॉम्स **₹** 6.77 करोड़[5] की अतिरिक्त शास्ति के लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार, वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन में 2009-10 से 2018-19 की अवधि के लिए डब्ल्यूसीसी को जमा कराने में किये गये विलम्ब ने तीनों डिस्कॉम्स पर **₹** 55.42 करोड़ (**₹** 48.65 करोड़ + **₹** 6.77 करोड़) की परिहार्य ब्याज की देयता उत्पन्न की।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (अगस्त 2019) कि राजस्थान वित्त विधेयक 2019 के अनुसार, आरईडी अधिनियम 1962 में धारा 8ए (कुछ प्रकरणों में शास्ति एवं ब्याज माफ करने के लिए राज्य सरकार की शक्ति) को जोड़ा जायेगा जिसके अनुसार राज्य सरकार, सार्वजनिक हित में, इस अधिनियम के अन्तर्गत देय किसी ब्याज अथवा शास्ति को कम अथवा माफ कर सकती है। इस संशोधन को ध्यान में रखते हुए एक **डिस्कॉम** (जविविनिलि) ने ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार को इस पर आरोपित किए गये डब्ल्यूसीसी पर **ब्याज**/ शास्ति

---

3 जविविनिलिः 18 दिन तथा 2404 दिन, अविविनिलि 4 दिन तथा 374 दिन एवं जोविविनिलिः 7 दिन तथा 576 दिन।

4 सीटीडी, जीओआर द्वारा अगस्त 2015 में जारी किए गए नोटिस के विरुद्ध 2009-10 से 2013-14 की अवधि के लिए जोविविनिलि द्वारा नवंबर 2015 में दायर किया गया प्रार्थना-पत्र।

5 जोविविनिलि (**₹** 1.20 करोड़), अविविनिलि (**₹** 2.28 करोड़) एवं जविविनिलि (**₹** 3.29 करोड़)।

को माफ करने के लिए पहले ही अनुरोध कर दिया था (24 जुलाई 2019)। इसके अतिरिक्त, डिस्कॉम्स ने भविष्य में डब्ल्यूसीसी को निर्दिष्ट समय में जमा करने का आश्वासन दिया।

प्रत्युत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अधिनियम में सम्मिलित की गई नई धारा (8ए) राज्य सरकार को किसी ब्याज या शास्ति को पूर्वव्यापी प्रभाव से कम/माफ करने का अधिकार प्रदान नहीं करती है। साथ ही, डिस्कॉम्स ने आरईडी अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के अनुसार संग्रहित डब्ल्यूसीसी को संबंधित राजस्व अधिकारियों को जमा कराने को सुनिश्चित करने/निगरानी करने के लिए कार्यविधि तैयार नहीं की थी, जिसके कारण 2009-10 से 2018-19 के दौरान डब्ल्यूसीसी को जमा कराने में असामान्य विलम्ब एवं ₹ 55.42 करोड़ की परिहार्य ब्याज देयता उत्पन्न हुई ।

## जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

### 2.2 *जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा प्रदान किये गए ठेकों के वित्तीय समापन में प्रणालीगत कमियां*

**परिचय**

**2.2.1** जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (कम्पनी) राज्य के 10 जिलों[6] में विद्युत के वितरण के कार्य में संलग्न है। कम्पनी में क्रमशः मुख्य अभियंता (एमएम) एवं मुख्य अभियंता (टीडब्ल्यू) के नियंत्रण में सामग्री के प्रापण के लिए सामग्री प्रबंधन (एमएम) समूह एवं विद्युतीकरण व वितरण प्रणाली तंत्र की वृद्धि/सुदृढिकरण से संबंधित टर्नकी कार्यों/ परियोजनाओं के निष्पादन, निगरानी के लिये टर्नकी कार्य (टीडब्ल्यू) समूह है। कम्पनी ने मुख्य अभियंता (सीएसएस) के नियंत्रण में भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वित्त पोषित टर्नकी कार्यों के कार्यान्वयन के लिए एक पृथक अनुभाग अर्थात केन्द्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) समूह का गठन किया (मई 2018)।

कम्पनी के पूंजीगत कार्यों को निष्पादित करने में इन सभी तीनों समूहों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि 2014-19 की अवधि के लिए इसके कुल बजटीय पूंजीगत व्यय (₹ 7618.68 करोड़) का 83 प्रतिशत (₹ 6314.56 करोड़) इन समूहों से संबंधित था। इन समूहों द्वारा निष्पादित ठेकों की समीक्षा से उजागर हुआ कि 2008-09 से 2017-18 के दौरान वित्तीय समापन योग्य कुल 4175[7] ठेकों में से केवल 538[8] ठेके (12.89 प्रतिशत) का पूर्ण वित्तीय समापन हुआ था।

6 बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, पाली, सिरोही एवं श्रीगंगानगर।

7 इसमें एमएम एवं टीडब्ल्यू अनुभाग द्वारा जारी क्रमशः 4108 क्रय आदेश एवं 67 टर्नकी कार्य अनुबंध सम्मिलित हैं।

8 इसमें एमएम एवं टीडब्ल्यू अनुभाग से संबंधित क्रमशः 513 क्रय आदेश एवं 25 टर्नकी कार्य अनुबंध सम्मिलित हैं।

## लेखापरीक्षा उद्देश्य एवं क्षेत्र

**2.2.2** वर्तमान अध्ययन (जनवरी 2019 से मई 2019) यह मूल्यांकन करने के लिए किया गया था कि क्या अंतिम बिल प्रस्तुत करने एवं ठेकों के वित्तीय समापन से संबंधित मानदंड एवं दिशा-निर्देश भलीभांति परिभाषित हैं, कार्य निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वित्तीय रूप से समापन किये गये थे एवं कम्पनी के वित्तीय हितों की सुरक्षा के लिए वित्तीय समापन से संबंधित संविदा वाक्यांश को उचित रूप से लागू किये गये थे।

अध्ययन के माध्यम से एमएम एवं टीडब्ल्यू समूहों द्वारा प्रदान किए गए क्रमशः क्रय आदेशों (पीओ) एवं टर्नकी कार्यों (टीडब्ल्यू) ठेकों[9] के वित्तीय समापन की प्रक्रिया की दक्षता एवं प्रभावशीलता का आंकलन किया गया। लेखापरीक्षा में 2008-09 से 2017-18 के दौरान इन दोनों समूहों द्वारा दिये गये एवं 31 मार्च 2019 तक वित्तीय रूप से समाप्त/वित्तीय समापन हेतु लंबित पीओ/टीडब्ल्यू ठेकों से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा सम्मिलित थी। वर्ष 2008-09 से 2017-18 के दौरान वित्तीय समापन योग्य 4108 पीओ[10] (जैसा कि **अनुबंध-4** में वर्णित है) एवं 67[11] टीडब्ल्यू ठेकों में से, 513 पीओ एवं 25 टीडब्ल्यू ठेके वित्तीय रूप से समाप्त थे जबकि 3595 पीओ एवं 42 टीडब्ल्यू अनुबंध नमूना चयन के समय (जनवरी 2019) वित्तीय समापन के लिए लंबित थे।

विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए पीओ/टीडब्ल्यू ठेकों के चयन के दौरान, वित्तीय रूप से समाप्त प्रकरणों में से, 49 पीओ (20 प्रतिशत) एवं पांच टीडब्ल्यू ठेके (20 प्रतिशत) विस्तृत जांच के लिए चयनित किये गये थे जबकि वित्तीय समापन हेतु लंबित प्रकरणों में से,111 पीओ (10 प्रतिशत) एवं नौ टीडब्ल्यू ठेके (20 प्रतिशत) विस्तृत जांच के लिए चयनित किये गये थे। यह प्रकरण यादृच्छिक आधार पर चयन किये गये थे एवं एमएम अनुभाग से संबंधित पीओ के लिए बहु-स्तरीय चयन पद्धति को अपनाया गया क्योंकि एमएम अनुभाग द्वारा खरीदे गए पांच प्रमुख मदों यथा ट्रांसफॉर्मर्स, मीटर, वेक्यूम सर्किट ब्रेकर (वीसीबी), स्टील मदें एवं केबल/कंडक्टर से संबंधित प्रकरण चयनित किए गए थे।

## ठेकों के वित्तीय समापन से संबंधित कार्य

**2.2.3** एमएम समूह कम्पनी की वार्षिक आवश्यकता के लिए सामग्री की केंद्रीकृत प्रापण करता है। प्रापण प्रक्रिया में मुख्य रूप से आवश्यकता का आंकलन एवं उसे अंतिम रूप देना, निविदाएं आमंत्रित करना व उन्हें अंतिम रूप देना, पीओ प्रदान करना, प्रेषण निर्देश जारी करना

---

9 टर्नकी ठेके में एक ही निविदा के अन्तर्गत आपूर्ति एवं निर्माण कार्य के लिए प्रदान किया गया ठेका सम्मिलित है।

10 इसमें वित्तीय समापन के योग्य 347 अतिरिक्त पीओ सम्मिलित है, जिनकी सूचना लेखापरीक्षा के दौरान प्रदान की गई थी।

11 इसमें वित्तीय समापन के योग्य तीन अतिरिक्त टीडब्ल्यू ठेके सम्मिलित हैं, जिनकी सूचना लेखापरीक्षा के दौरान प्रदान की गई थी।

आदि सम्मिलित हैं। टीडब्ल्यू एवं सीएसएस समूह टर्नकी कार्यों के निष्पादन के लिए केंद्रीकृत रूप से निविदा जारी करने एवं ठेका प्रदान करने एवं प्रदान किये गये कार्यों का निष्पादन संबंधित ठेकेदार द्वारा संबंधित संचालन एवं रखरखाव (ओएण्डएम) वृत के निरीक्षण में किया जाता है। आदेशित आपूर्ति/टर्नकी कार्यों के निष्पादन के पश्चात, संबंधित समूह द्वारा ठेके का वित्तीय समापन निष्पादित किया जाता है।

इन तीन[12] अनुभागों के अतिरिक्त, प्रापण प्रक्रिया में कम्पनी के अन्य समूह/कार्यालय यथा सहायक भण्डार नियंत्रक (एससीओएस), ओएण्डएम वृत एवं केंद्रीकृत भुगतान प्रकोष्ठ (सीपीसी) भी सम्मिलित हैं। कम्पनी के विभिन्न समूहों/कार्यालयों के मध्य प्रापण प्रक्रिया (ठेकों के वित्तीय समापन सहित) से संबंधित कार्यों का आवंटन नीचे दर्शाया गया है:

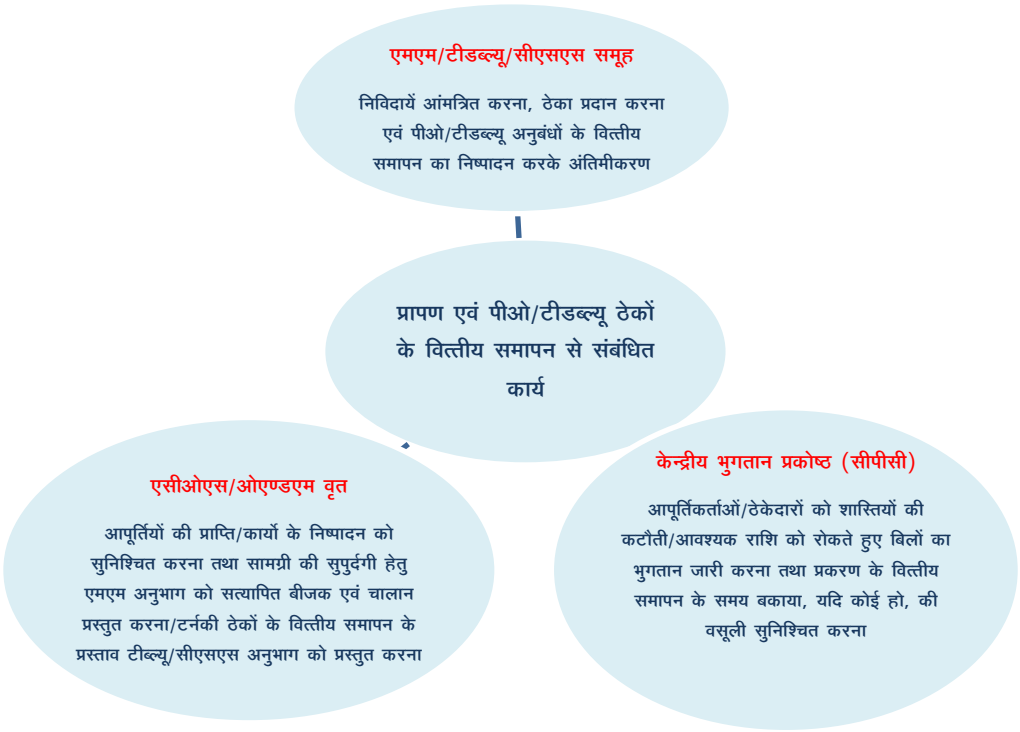


आदेशित आपूर्ति/कार्यों के निष्पादन के पश्चात पीओ/टीडब्ल्यू ठेकों के वित्तीय समापन की प्रक्रिया प्रारम्भ होती है जिसे तीन चरणों में विभाजित किया जा सकता है। जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

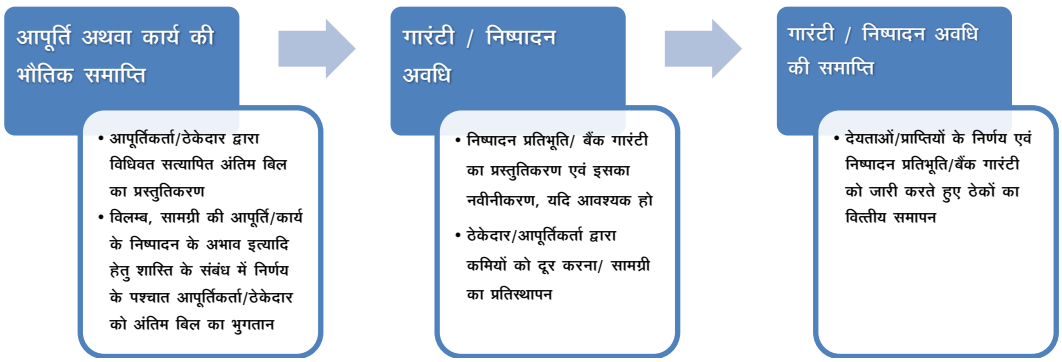


12 एमएम, टीडब्ल्यू एवं सीएसएस समूह।

## लेखापरीक्षा निष्कर्ष

**2.2.4** लेखापरीक्षा निष्कर्ष जो मुख्यतयाः प्रापण प्रबंधन सूचना प्रणाली (पीएमआईएस) को नहीं अपनाने, ठेकों के वित्तीय समापन के लिए भलीभांति परिभाषित व व्यापक प्रक्रिया के अभाव, क्रय आदेशों/टर्नकी ठेकों के वित्तीय समापन में विलम्ब/कमी आदि से संबंधित विषयों को समाहित करते हैं जिनकी चर्चा अनुच्छेद **2.2.5 से 2.2.15** के अन्तर्गत की गई है।

यह लेखापरीक्षा निष्कर्ष केवल नमूना प्रकरणों के लेखापरीक्षा विश्लेषण पर आधारित है एवं कम्पनी में इस प्रकार के अन्य प्रकरण होने की संभावना है। इसलिए, सरकार/कम्पनी से अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसे अन्य सभी प्रकरणों की समीक्षा करे जिसमें समान कमियों/ अनियमितताओं की संभावना हो तथा समान कमियां अनियमितताऐं पाये जाने पर/ऐसे प्रकरणों में सुधारात्मक कार्यवाही करे।

सरकार/कम्पनी के उत्तर (सितंबर 2019) पर विचार करने के पश्चात अनुच्छेद को अंतिम रूप दिया गया है।

## प्रापण प्रबंधन सूचना प्रणाली (पीएमआईएस) को अपनाया जाना

**2.2.5** प्रापण प्रबंधन सूचना प्रणाली (पीएमआईएस) प्रक्रिया के निष्पादन की निगरानी करने के लिए समय समय पर-प्रापण प्रक्रिया से संबंधित सूचना को एकत्रित करती है। यह वित्तीय समापन के योग्य प्रापण प्रकरणों की निगरानी में सहायता करती है एवं इन प्रकरणों को समयबद्ध तरीके से समापन करने को भी सुनिश्चित करती है। लेखापरीक्षा ने पाया कि राजस्थान सार्वजनिक प्रापण में पारदर्शिता (आरटीपीपी) नियम 2013 के नियम 9 में भी प्रत्येक प्रापण इकाई द्वारा पीएमआईएस को विकसित एवं रखरखाव के लिए प्रावधान किया गया है।

अभिलेखों की समीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि कम्पनी ने प्रापण प्रक्रिया के प्रबंधन एवं निगरानी के लिए सूचना प्रणाली विकसित नहीं की थी। प्रापण प्रकरणों से संबंधित समेकित सूचना के अभाव में, ऐसे प्रकरणों की निगरानी के लिए अपेक्षित समंक कम्पनी के पास उपलब्ध नहीं थे। लेखापरीक्षा ने आगे देखा किः

- क्रय आदेशों (पीओ) के संबंध में, जो 2008-09 से 2017-18 के दौरान वित्तीय समापन के योग्य हो गए थे, एमएम समूह ने प्रारम्भ में (नवम्बर 2018) 3761 प्रकरणों का विवरण प्रदान किया, जबकि इसने बाद में (मार्च 2019) 3987 प्रकरणों का विवरण प्रदान किया गया जिसमें 121 प्रारंभिक प्रकरण थे जबकि 347 नए प्रकरण सम्मिलित किये गये थे।
- एमएम समूह द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर, कुल 160 पीओ[13] विस्तृत जांच के लिए चयनित किये गये थे जैसा कि अनुच्छेद **2.2.2** में वर्णित है। इन 160 प्रकरणों की समीक्षा करने के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि एमएम समूह द्वारा प्रदान

13 49 पीओ, जहां वित्तीय समापन को अंतिम रूप दे दिया गया था एवं 111 पीओ जहां वित्तीय समापन लंबित था।

की गई सूचना सही नहीं थी क्योंकि वित्तीय रूप से समाप्त बताये गये प्रकरणों में 31 ऐसे पीओ सम्मिलित थे, जिनमें वित्तीय समापन लंबित था जबकि वित्तीय समापन के लिए लंबित बताये गये प्रकरणों में 14 ऐसे पीओ सम्मिलित थे जिनका वित्तीय समापन पहले ही हो चुका था। (जून 2019)

इस प्रकार एक संरचित प्रणाली के अभाव में, कम्पनी का एमएम समूह 2008-09 से 2017-18 के दौरान वित्तीय समापन के लिए योग्य क्रय आदेशों से संबंधित सही सूचना प्रदान करने की स्थिति में नहीं था। परिणामस्वरूप, एमएम समूह द्वारा प्रदान की गई कुल योग्य प्रकरणों, वित्तीय रूप से समाप्त प्रकरणों एवं समापन के लिए लंबित प्रकरणों संबंधी सूचना विश्वसनीय नहीं थी।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया कि कम्पनी ने बाद के चरण में लेखापरीक्षा को पीओ की सही सूचियां प्रदान की थी। इसने आगे कहा कि कम्पनी ने उद्यम संसाधन नियोजन (ईआरपी) प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए कार्य प्रदान कर दिया था (जून 2019) जो कि प्रक्रियाधीन है।

## ठेकों के समापन की कार्यविधि

**2.2.6** ठेकों का समापन प्रापण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है जो कि इस बात का प्रतीक है कि संविदा के अन्तर्गत क्रेता या आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार के दायित्वों का निपटान हो चुका हैं। एक ठेके को सभी संबंधों में उसकी वारंटी/दोष दायित्व अवधि (डीएलपी) सफलतापूर्वक पूर्ण होने के पश्चात ही समाप्त माना जाता है। इसलिए, ठेके को इसके सफलतापूर्वक पूर्ण होने एवं आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार को निष्पादन प्रतिभूति वापस/मुक्त करने पर ही समाप्त करना चाहिये। साथ ही, कम्पनी से संबंधित ठेकों के पूर्ण होने के पश्चात ठेकों के समापन के लिए एक सुपरिभाषित एवं समयबद्ध प्रक्रिया निर्धारित करने की भी अपेक्षा की जाती है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कम्पनी की ठेकों की सामान्य शर्तों (जीसीसी) में प्रतिभूति/निष्पादन बैंक गारंटी को वापस करने एवं सामग्री की सुपुर्दगी/मरम्मत/प्रतिस्थापन व कार्य के निष्पादन में विलम्ब इत्यादि हेतु शास्ति के कुछ प्रावधान सम्मिलित किये गये थे। तथापि, कम्पनी ने प्रदान किये गये ठेकों के वित्तीय समापन के लिए एक सुपरिभाषित एवं व्यापक प्रक्रिया नहीं बनाई थी। साथ ही, इसने सामग्री की सुपुर्दगी/मरम्मत/प्रतिस्थापन एवं कार्य के निष्पादन में विलम्ब के लिये वसूली/शास्ति को अंतिम रूप देने एवं प्रतिभूति/बैंक गारंटी को वापस करने आदि के लिए कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की थी। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि कम्पनी ने ठेकों का सामयिक वित्तीय समापन सुनिश्चित करने एवं एक निश्चित समय अवधि के पश्चात लंबित प्रकरणों की समीक्षा करने के लिए निगरानी तंत्र भी निर्मित नहीं किया था।

ठेका समापन करने की प्रक्रिया की तुलना करने के उद्देश्य से, लेखापरीक्षा ने निकटवर्ती राज्यों की डिस्कॉम्स में प्रक्रिया का विश्लेषण किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि मध्य प्रदेश राज्य के डिस्कॉम ने अपनी प्रापण नियमावली (जून 2012 तक संशोधित) में ठेका समापन की प्रक्रिया को परिभाषित किया। यह प्रावधान करता है कि नीति के अन्तर्गत, संबधित ठेकों की वारंटी/डीएलपी की समाप्ति के तुरंत पश्चात सभी ठेकों को बंद कर दिया जाएगा। यह 12 माह की समय सीमा एवं गतिविधियों की व्यापक सूची, जो कि ठेके को बंद करने से पहले पूर्ण की जानी आवश्यक है, निर्धारित करता है। यह भी प्रावधान करता है कि संबंधित समूह पूर्णता के

निकट वाले ठेकों की सूची संधारित करेगा जहाँ सूची में ठेके का विशिष्ट विवरण यथा भौतिक रूप से पूर्णता एवं कार्य हस्तांतरण की अपेक्षित तिथि, वारंटी अवधि सम्मिलित किये जायेंगें एवं ऐसे सभी ठेकों के संबंध में प्रभारी द्वारा विभिन्न संबद्ध गतिविधियों की प्रगति की मासिक आधार पर समीक्षा की जाएगी। यद्यपि, कम्पनी ने अपनी क्रय नियमावली/कार्य नियमावली में अन्य संबंधित भागों में इस तरह की गतिविधियों के लिए कुछ मानदंडों को परिभाषित किया है, परन्तु इस नियमावली में अनुबंधों के समापन के लिए एक सुपरिभाषित एवं समयबद्ध प्रक्रिया एवं निगरानी तंत्र सम्मिलित नहीं किया गया है।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि कम्पनी के एमएम, टीडब्ल्यू एवं सीएसएस समूहों ने ठेको के वित्तीय समापन में असामान्य विलम्ब किया। लेखापरीक्षा ने देखा कि चयनित प्रकरणों में 31 मार्च 2019 को वित्तीय रूप से समाप्त प्रकरणों एवं वित्तीय समापन के लिए लंबित प्रकरणों में निष्पादन अवधि समाप्त होने से क्रमशः छ :माह से 76 माह तथा छ :माह से 107 माह के मध्य का विलम्ब रहा। इस प्रकार निर्धारित समयसीमा एवं निगरानी तंत्र युक्त सुपरिभाषित प्रक्रिया के अभाव में संबंधित अनुभाग के सुस्त दृष्टिकोण की आगे के अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं ठेकों के समयबद्ध वित्तीय समापन के लिए एक सुपरिभाषित प्रक्रिया अपनाने का आश्वासन दिया।

## क्रय आदेशों/टर्नकी कार्यो के ठेकों का वित्तीय समापन

**2.2.7** चयनित प्रकरणों की समीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा द्वारा ऐसे प्रकरण देखे गये जहां क्रय आदेशों (पीओ)/टर्नकी कार्य (टीडब्ल्यू) ठेकों को अंतिम रूप देने/वित्तीय समापन करने में विलम्ब/कमियां थी जो कि नीचे वर्णित है:

***सत्यापित बिल एवं प्राप्ति चालान प्रस्तुत करने का अभाव***

**2.2.8** ठेके की सामान्य शर्तों (जीसीसी) के अनुसार, एमएम समूह द्वारा पीओ जारी करने एवं ठेके संबंधी औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात आपूर्तिकर्ता द्वारा प्राप्ति चालानों एवं अन्य आवश्यक प्रपत्रों के साथ बिल को प्रेषिति यथा संबंधित सहायक भण्डार नियंत्रक (एसीओएस) को प्रस्तुत करना होता है एवं प्रेषिति द्वारा सत्यापित बिल एवं प्राप्ति चालान के साथ अन्य आवश्यक प्रपत्रों की एक प्रति एमएम समूह, केंद्रीकृत भुगतान प्रकोष्ठ (सीपीसी) एवं संबंधित आपूर्तिकर्ता प्रत्येक को प्रेषित करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, बिल एवं प्राप्ति चालान की एक प्रति आपूर्तिकर्ता द्वारा एमएम समूह को शीघ्र प्रेषित करनी होती है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि माल की आपूर्ति एवं संबंधित आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत बिलों एवं प्राप्ति चालानों के सत्यापन के पश्चात, एसीओएस ने सत्यापित बिलों एवं प्राप्ति चालान की एक प्रति आपूर्तिकर्ता के साथ-साथ सीपीसी को भेजी, परन्तु एसीओएस ने इन प्रपत्रों की प्रतिलिपी एमएम समूह को प्रेषित नहीं की थी। इसी तरह, आपूर्तिकर्ताओं ने भी इस प्रावधान का पालन नहीं किया था, जिसमें संबंधित एसीओएस द्वारा ऐसे प्रपत्रों के सत्यापन के तुरंत पश्चात प्रत्येक खेप के लिए ऐसे प्रपत्रों की एक प्रति एमएम समूह को प्रस्तुत करने के लिए प्रावधान है। साथ ही, आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति की गई कुल सामग्री से संबंधित सत्यापित बिल एवं प्राप्ति चालान की प्रतियां एमएम समूह को दो माह से 71 माह के विलम्ब के साथ प्रदान की गई थी

(17 ऐसे प्रकरणों को सम्मिलित करते हुए जिनमें सत्यापित बिल डीएलपी के पश्चात प्रस्तुत किए गए थे)। एसीओएस एवं आपूर्तिकर्ताओं द्वारा निर्धारित प्रक्रिया/मानदंडों का पालन नहीं करने के कारण एमएम समूह द्वारा आपूर्ति में विलम्ब/कमी के पेटे शास्तियों, नकारात्मक मूल्य विचलन आदि के निर्धारण में विलम्ब हुआ एवं परिणामस्वरूप ठेकों को अंतिम रूप देने में विलम्ब हुआ।

चयनित 160 क्रय आदेशों की समीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा ने देखा कि एमएम समूह ने केवल 83 क्रय आदेशों को अंतिम रूप दिया था, जबकि 55 क्रय आदेश 31 मार्च 2019 को वित्तीय समापन के लिए लंबित थे। साथ ही, शेष 22 क्रय आदेशों में से 15 प्रकरणों में आपूर्ति प्रारम्भ नहीं करने के कारण वित्तीय समापन की आवश्यकता नहीं थी, एक प्रकरण में निष्पादन की अवधि पूर्ण नहीं हुई थी एवं छः प्रकरणों में संबंधित आपूर्तिकर्ताओं अर्थात दो केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयूज) के साथ समाशोधन के अभाव के कारण अंतिम रूप नहीं दिये जा सके जैसा कि आगामी अनुच्छेद **2.2.12** में चर्चा कि गई है। एमएम समूह द्वारा अंतिम रूप दिए गए 83 क्रय आदेशों के विस्तृत विश्लेषण से उजागर हुआ कि 17, 31, 11 एवं तीन क्रय आदेशों को अंतिम रूप देने में डीएलपी की समाप्ति की दिनांक से क्रमशः तीन माह से एक वर्ष, एक वर्ष से तीन वर्ष, तीन वर्ष से पांच वर्ष एवं पांच वर्ष से अधिक अवधि का विलम्ब था। साथ ही, एसीओएस/आपूर्तिकताओं द्वारा अपेक्षित प्रपत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण, एमएम समूह अन्य 55 क्रय आदेशों को उनके निष्पादन की अवधि समाप्त होने से छः माह से 107 माह की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त भी अंतिम रूप नहीं दे सका।

इस प्रकार, जीसीसी में निर्दिष्ट प्रावधानों की अनुपालना को सुनिश्चित नहीं करने के परिणामस्वरूप क्रय आदेशों को अंतिम रूप देने/वित्तीय समापन करने में अत्यधिक विलम्ब हुआ। तथापि, एमएम समूह ने इस संबंध में संबंधित एसीओएस/आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की थी।

सरकार ने आश्वासन दिया कि एसीओएस एवं आपूर्तिकर्ता को समय समय पर उनके द्वारा प्राप्त/आपूर्ति की गई सामग्री से संबंधित आवश्यक प्रपत्र प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है जिससे कि वित्तीय समापन समय पर किया जा सके।

***वसूली प्रभावी करने के लिए कमजोर संप्रेषण प्रणाली एवं सुस्त दृष्टिकोण***

**2.2.9** प्रचलन के अनुसार, क्रय आदेश के लिए वसूलियों को अंतिम रूप देने के पश्चात, एमएम समूह सीपीसी को '*वसूली के निर्धारण के लिए पत्र*' के माध्यम से लागू होने वाली वसूली सूचित करता है एवं सीपीसी द्वारा संबंधित आपूर्तिकर्ता से यथोचित वसूली एवं संबंधित आपूर्तिकर्ता की निष्पादन बैंक गारंटी जारी किये जाने की सूचना एमएम समूह को दी जानी होती है।

चयनित प्रकरणों की समीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया किः

- एमएम समूह ने विलंबित/कम/दोषपूर्ण आपूर्ति, नकारात्मक मूल्य विचलन आदि के पेटे 83 प्रकरणों में वसूली को अंतिम रूप दिया (जून 2009 से दिसंबर 2018) एवं ऐसे सभी प्रकरणों में सीपीसी को '*वसूली के निर्धारण के लिए पत्र*' जारी किये। तथापि, ऐसे पत्र केवल 60 क्रय आदेशों हेतु ही उपलब्ध थे जबकि शेष 23 प्रकरणों में, जिनमें ₹ 50.11 लाख की वसूली सम्मिलित थी, '*वसूली के निर्धारण के लिए पत्र*' सीपीसी

के अभिलेखों में पत्र जारी किये जाने से जून 2019 तक छः माह से 120 माह की अवधि के व्यतीत होने के उपरान्त भी उपलब्ध नहीं थे। इस प्रकार, कमजोर संप्रेषण के परिणामस्वरूप क्रय आदेशों को अंतिम रूप देने में असामान्य विलम्ब हुआ। साथ ही, इन 23 में से 14 प्रकरणों में, सीपीसी के पास ₹ 39.29 लाख की वसूली योग्य राशि के समक्ष केवल ₹ 13.80 लाख की वित्तीय प्रतिभूति थी।

- 15[14] चयनित प्रकरणों में, एमएम समूह ने ₹ 1.72 करोड़ की वसूलियों का निर्धारण किया एवं सीपीसी को सूचित किया (अगस्त 2016 से सितंबर 2017 के मध्य) तथापि, सीपीसी ने जून 2019 तक इन प्रकरणों में वसूली नहीं की थी, जिसके संबंध में एमएम समूह के अभिलेखों में कोई औचित्य नहीं पाया गया था जबकि सीपीसी इन चयनित प्रकरणों में से तीन[15] प्रकरणों, जिनमें ₹ 1.64 करोड़ की वसूली सम्मिलित थी, से संबंधित अभिलेख प्रदान करने में विफल रहा। यह इंगित करता है कि एमएम समूह द्वारा संदर्भित प्रकरणों में वसूली प्रभावी करने में सीपीसी तत्पर नहीं था। साथ ही, एमएम समूह ने इसके द्वारा इंगित की गई वसूलियों के समक्ष सीपीसी द्वारा की गई वसूली की स्थिति की निगरानी करने के लिए तंत्र विकसित नहीं किया था। इस प्रकार, कम्पनी की दोषपूर्ण प्रणाली एवं सुस्त दृष्टिकोण के कारण एमएम समूह द्वारा वसूली की सूचना से दो वर्ष से अधिक की समयावधि व्यतीत होने के उपरान्त भी इन 15 पीओ को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका।

सरकार ने आश्वासन दिया कि समय से वसूली करने के लिए संप्रेषण प्रणाली को सुदृढ़ किया जा रहा है। साथ ही, लेखापरीक्षा द्वारा इंगित लम्बित वसूलियों का कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया है।

### *टर्नकी ठेकों के वित्तीय समापन के लिए उचित एवं सामयिक कार्रवाई का अभाव*

**2.2.10** प्रचलित प्रणाली के अनुसार, टर्नकी ठेकों की भौतिक पूर्णता के उपरांत, संबंधित वृत्त कार्यालय द्वारा आवश्यक विवरण/प्रपत्रों सहित ठेकों के वित्तीय समापन के प्रस्ताव संबंधित टीडब्ल्यू/ सीएसएस समूह को अग्रेषित किया जाना होता है, एवं इसके उपरांत ऐसे अनुबंधों का वित्तीय समापन संबंधित समूह द्वारा प्रक्रियागत किया जाता है।

वित्तीय समापन हेतु लंबित नौ चयनित टर्नकी ठेकों से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि एक कार्य वित्तीय समापन के योग्य नहीं था। शेष आठ चयनित प्रकरणों में आदेशित कार्य पूर्ण होने, कार्य के लिए दोष दायित्व अवधि (डीएलपी) की समाप्ति एवं टर्नकी ठेकों के वित्तीय समापन के प्रस्तावों को अग्रेषित करने की स्थिति नीचे दर्शाई गई है:

---

14 टीएन-590 के अंतर्गत पीओ-4103 एवं 3609, टीएन-739 के अंतर्गत पीओ-5258, टीएन-473 के अंतर्गत पीओ-3876, टीएन-611 के अंतर्गत पीओ-3600, टीएन-2050 के अंतर्गत पीओ-4610, टीएन-555 के अंतर्गत पीओ-3565, टीएन-4399 के अंतर्गत पीओ-8199, टीएन-4386 के अंतर्गत पीओ-6503, टीएन-4361 के अंतर्गत पीओ-6431, टीएन-4188 के अंतर्गत पीओ-3448, टीएन-551 के अंतर्गत पीओ-3806 एवं टीएन-565 के अंतर्गत पीओ-3884, टीएन-649 के अंतर्गत पीओ-4236 एवं टीएन-2054 के अंतर्गत पीओ-4516।

15 टीएन-590 के अंतर्गत पीओ-4103 एवं 3609 एवं टीएन-473 के अंतर्गत पीओ-3876 ।

**तालिका 2.2.1: चयनित टर्नकी ठेकों के वित्तीय समापन की स्थिति**

| क्र. सं. | निविदा/ कार्यादेश प्रदान किये जाने का माह | कार्य के पूर्ण होने का माह | कार्य की डीएलपी समाप्त होने का माह | माह जिसमें वृत कार्यालय द्वारा वित्तीय समापन के लिए प्रस्ताव अग्रेषित किया गया | कार्यादेश का मूल्य | भुगतान की जाने वाली राशि | भुगतान की गई राशि | कार्यो के निष्पादन में विलम्ब के पेटे निर्धारित वसूली | उपलब्ध वित्तीय प्रतिभूति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (₹ लाख में) | | | | |
| 1 | टीएन-126/ जुलाई 2009 | दिसम्बर 2013 | उ.न.* | जनवरी 2018 | 820.75 | 273.52 | 336.68 | 63.16 | 34.64 |
| 2 | टीएन-131/ मार्च 2011 | उ.न. | उ.न. | उ.न. | 123.37 | उ.न. | उ.न. | निर्धारित नहीं किया | 8.64 |
| 3 | टीएन-209/ मार्च 2014 | जून 2016 | जुलाई 2017 | अगस्त 2017 | 623.74 | 4०2.26 | 450.35 | 60.86 | 70.00 |
| 4 | टीएन-216/ मार्च 2014 | मई 2016 | मई 2017 | अगस्त 2017 | 171.82 | 116.74 | 112.82 | 8.62 | 39.55 |
| 5 | टीएन-218/ जुलाई 2014 | अप्रैल 2016 | अप्रैल 2017 | मार्च 2017 | 653.05 | 324.68 | 324.68 | निर्धारित नहीं किया | 62.64 |
| 6 | टीएन-220/ जुलाई 2014 | दिसम्बर 2015 | जनवरी 2017 | फरवरी 2018 | 1114.80 | 452.50 | 452.50 | निर्धारित नहीं किया | 78.04 |
| 7 | टीएन-224/ जुलाई 2014 | उ.न. | उ.न. | उ.न. | 2227.89 | 76.56 | 76.56 | निर्धारित नहीं किया | 54.28 |
| 8 | टीएन-264/ अप्रैल 2015 | मार्च 2018 | जुलाई 2020 | प्रस्तुत नहीं | 7689.47 | 7388.26 | 7271.68 | निर्धारित नहीं किया | 1057.26 |
| | **योग** | | | | **13424.89** | **9034.52** | **9025.27** | | **1405.05** |

*उपलब्ध नहीं

# ऐसे प्रकरण, जहाँ वसूली निर्धारण हो गया है, भुगतान की जाने वाली राशि की गणना निर्धारित की गई वसूली के प्रभाव के पश्चात् की गई हैं।

इन ठेकों की विस्तृत समीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- कार्यादेश के मूल्य एवं निष्पादित किये गये कार्य के मध्य व्यापक अंतर था (विशेष रूप से क्र.सं. 1,6 व 7 के प्रकरणों में) जो यह इंगित कि कम्पनी में इन कार्यो को प्रदान किये जाने से पूर्व कार्य की मात्रा का पर्याप्त रूप से आंकलन नहीं किया था।
- इन आठ प्रकरणों में से पांच में (क्र.सं. 2, 5 से 8) कम्पनी ने कार्य के पूर्ण होने में विलम्ब के पेटे ठेकेदारों के दायित्व का आंकलन अभी तक (मार्च 2020) नहीं किया था। साथ ही कम्पनी ने सभी कार्यो के निष्पादन में कमियों के पेटे ठेकेदारों के दायित्व का आंकलन भी नहीं किया था
- दो प्रकरणों में (क्र.सं. 1 व 3) कम्पनी ने कार्यो के निष्पादन में विलम्ब के पेटे वसूलनीय राशि का निर्धारण समय पर नहीं किया एवं क्रमशः ₹63.16 लाख व ₹48.09 लाख का अधिक भुगतान किया था प्रथम प्रकरण (क्र.सं. 1) में कम्पनी के पास ठेकेदार के विरूद्ध पर्याप्त वित्तीय प्रतिभूति नहीं थी (अनुच्छेद **2.2.11** में चर्चा की गई है) जबकि द्वितीय प्रकरण(क्र.सं.3) में कम्पनी ने उपलब्ध वित्तीय प्रतिभूति से मार्च 2020 तक वसूली प्रभावी नहीं की थी।
- चूंकि कम्पनी द्वारा ठेकेदारों को देय लगभग सम्पूर्ण राशि (99.9 प्रतिशत) जारी की जा चुकी थी एवं विलम्ब/कमियों के पेटे ठेकेदारों का दायित्व का आंकलन अभी किया

जाना शेष है, अतः कम्पनी के पास उपलब्ध वित्तीय प्रतिभूति की पर्याप्तता लेखापरीक्षा में ज्ञात नहीं की जा सकी।

- इन प्रकरणों (क्र.सं 8 को छोडकर) के वित्तीय समापन में अत्यधिक विलम्ब था क्योंकि यह पूर्णता की तिथि से एक से पांच वर्षो तक व्यतीत होने के उपरान्त भी लम्बित थे।
- दो प्रकरणों (क्र.सं. 2 व 7) में, कम्पनी ने सूचित किया कि यह कार्य पहले ही पूर्ण हो चुके थे, तथापि न तो संबंधित वृत्त कार्यालय ने संबंधित समूह को वित्तीय समापन हेतु कोई प्रस्ताव भेजा न ही इन कार्यों के पूर्ण होने के संबंध में कोई प्रमाण-पत्र संबंधित पत्रावली/अभिलेखों में पाये गये थे। यह इंगित करता है कि संबंधित समूह (टीडब्ल्यू/सीएसएस) इन प्रकरणों के निष्पादन की स्थिति से भी अवगत नहीं थे। परिणामस्वरूप, इन समूहों द्वारा इन ठेकों के पूर्ण होने का विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कम्पनी प्रदान किये गये कार्यों के वित्तीय समापन की प्रक्रिया में तत्पर नहीं थी। साथ ही, कम्पनी द्वारा लगभग सम्पूर्ण देय राशि पूर्व में ही जारी कर दी गई थी एवं इसके पास उपलब्ध वित्तीय प्रतिभूति भी, ऐसे प्रकरण (क्र.स.1) में जहाँ वसूली निर्धारित कर दी गई थी, पर्याप्त नहीं थी अतः ठेकेदारों को ठेको का सामयिक वित्तीय समापन में कोई रुचि नहीं थी। अतः यह कम्पनी के हित में है कि ठेकों का वित्तीय समापन शीघ्र किया जाना सुनिश्चित करें।

साथ ही, संबंधित समूहों ने समय-समय पर ठेकों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए तंत्र विकसित नहीं किया था जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि समूह स्वयं द्वारा प्रदान किये गये ठेकों की स्थिति से भी अवगत नहीं थे।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि क्षेत्र के अधिकारियों से नियमित रूप से ठेकों के वित्तीय समापन के लिए आवश्यक विवरण/प्रपत्र प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता रहा है, परन्तु किसी एक अथवा अन्य कारण से सम्पूर्ण समापन प्रकरण उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, जिसके कारण ठेकों के समापन में विलम्ब हुआ। सरकार ने आगे आश्वासन दिया कि सुपरिभाषित कार्यप्रणाली अपनाने के पश्चात, ठेकों का समयबद्ध तरीके से वित्तीय समापन सुनिश्चित किया जाएगा।

***अपर्याप्त वित्तीय प्रतिभूति एवं राशि की वसूली का अभाव***

**2.2.11** कम्पनी ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत संचालन एवं अनुरक्षण (ओएंडएम) वृत्त, श्रीगंगानगर में बीपीएल कनेक्शन जारी करने हेतु सामग्री की आपूर्ति एवं स्थापना के लिए ₹ 8.21 करोड़ का कार्यादेश ठेकेदार (टीएन-126) को प्रदान किया (जुलाई 2009)। कार्यादेशनुसार, कार्य आदेश की तिथि से छह माह की अवधि के अन्दर कार्य पूर्ण किया जाना था। कार्य अधूरा समाप्त किया गया था एवं 20 दिसंबर 2013 को पूर्ण हुआ माना गया। संबंधित समूह को प्रकरण के वित्तीय समापन के प्रस्ताव को अग्रेषित करते हुए, संबंधित वृत्त कार्यालय ने सूचित किया (11 जनवरी 2018) कि इस निविदा के अंतर्गत ठेकेदार से ₹ 52.54 लाख की वसूली की जानी थी। तथापि, टीडब्ल्यू/सीएसएस समूह द्वारा वसूली योग्य राशि ₹ 63.16 लाख (अर्थात वृत्त स्तर पर गणना की गई राशि सहित)की गणना की गई (मार्च 2018) थी। समापन प्रक्रिया प्रारम्भ करने से पूर्व, कुछ विवरण/प्रपत्र यथा कार्य सौंपने एवं कार्य अधिकार में लेने के प्रमाण

पत्र, पुनर्प्राप्त सामग्री आदि का विवरण संबंधित वृत्त कार्यालय से मांगा गया था (अप्रैल 2018) जो कि जून 2019 तक प्रस्तुत नहीं किये गये थे। साथ ही, सीएसएस समूह ने ठेकेदार को वसूली राशि जमा करने के लिए नोटिस दिए थे (दिसंबर 2018 एवं जनवरी 2019) यह भी जून 2019 तक अनुत्तरित रहे। परिणामस्वरूप, प्रकरण का वित्तीय समापन एवं ₹ 63.16 लाख की वसूली जून 2019 तक लंबित रही।

लेखापरीक्षा ने देखा कि इस प्रकरण में, ₹ 63.16 लाख की वसूली योग्य राशि के समक्ष कम्पनी के पास उपलब्ध वित्तीय प्रतिभूति मात्र ₹ 34.64 लाख (निष्पादन बैंक गारंटी के मूल्य सहित) है। तथापि, प्रभावी संप्रेषण के अभाव, पर्याप्त वित्तीय प्रतिभूति को सुनिश्चित नहीं करने एवं प्रकरण के वित्तीय समापन करने में सुस्त दृष्टिकोण के कारण ठेकेदार से ₹ 63.16 लाख की वसूली में असामान्य विलम्ब हुआ ।

सरकार ने कहा कि कम्पनी ने संबंधित ठेकेदार को वांछित वसूली राशि जमा करने का निर्देश दिया है। इसने आगे कहा कि कम्पनी के पास विभिन्न निविदाओं के अंतर्गत ठेकेदार के विरुद्ध पर्याप्त वित्तीय प्रतिभूति है। तथ्य यह है कि कम्पनी ने कार्य पूर्ण होने से लगभग दो वर्ष की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त भी प्रकरण को अंतिम रूप नहीं दिया था।

***आपूर्तिकर्ताओं को प्रदान किए गए अग्रिमों की वसूली/समायोजन का अभाव***

**2.2.12** कम्पनी उद्धरण प्राप्त कर एवं क्रय आदेश प्रदान करके दो केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से इस्पात खंड क्रय करती है। इस्पात खंडों के क्रय के लिए जारी किए गए क्रय आदेशों में अन्य प्रावधानों के साथ यह प्रावधान है कि इस्पात खंडों की सुपुर्दगी के समय प्रचलित दरें लागू होगी एवं प्रापण के लिए पूर्ण भुगतान अग्रिम किया जाना है। इसलिए, कम्पनी ने इस्पात खंड क्रय करने के लिए इन दोनो केन्द्रीय उपक्रमों को जारी सभी क्रय आदेशों हेतु देय अनंतिम राशि के पेटे अग्रिम भुगतान जारी किया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कम्पनी ने प्रारंभ से (नवंबर 2006) मार्च 2019 तक इस्पात खंडों के प्रापण हेतु प्रथम केन्द्रीय उपक्रम को ₹ 147.09 करोड़ (71 क्रय आदेश) एवं द्वितीय केन्द्रीय उपक्रम को ₹ 6.76 करोड़ (नौ क्रय आदेश) के क्रय आदेश प्रदान किए थे एवं अग्रिम/भुगतान के पेटे ₹ 153.85 करोड़ जारी किये। लेखापरीक्षा ने देखा कि कम्पनी ने प्रकरण-दर-प्रकरण के आधार पर इन केन्द्रीय उपक्रमों के साथ शेष राशि का समाशोधन कर अधिक भुगतानों की वसूली/समायोजन नहीं किया था। परिणामस्वरुप, 31 मार्च 2019 को प्रथम व द्वित्तीय केन्द्रीय उपक्रम से क्रमशः ₹ 11.50 करोड़ एवं ₹ 0.58 करोड़ की बकाया/असमायोजित अग्रिम संचित हुई। तथापि, कम्पनी ने संबंधित आपूर्तिकर्ता के साथ दिसंबर 2018 तक बकाया/असमायोजित अग्रिमों के शेष का समाशोधन करने का प्रयास नहीं किया था। कम्पनी ने प्रथम केन्द्रीय उपक्रम को दिए गए अग्रिमों के समाशोधन के लिए विलंब से एक समिति नियुक्त की (8 जनवरी 2019), परन्तु समिति जून 2019 तक शेष राशि का समाशोधन नहीं कर सकी। शेषों के वांछित समाशोधन एवं अग्रिमों की वसूली/समायोजन के अभाव में, ₹ 12.08 करोड़ की सारभूत राशि बकाया/असमायोजित रही एवं सभी 80 क्रय आदेश (छह चयनित क्रय आदेशों सहित) वित्तीय समापन हेतु लंबित थे।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं आश्वासन दिया कि अग्रिमों का समाशोधन/समायोजन शीघ्र ही किया जाएगा।

### *चूक करने वाले आपूर्तिकर्ताओं की बैंक गारंटी को भुनाने का अभाव*

**2.2.13** चयनित प्रकरणों की समीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने दोषी आपूर्तिकर्ताओं से संबंधित बैंक गारंटी भुनाने में कम्पनी की ओर से कुछ कमियाँ/विलम्ब देखा। इन प्रकरणों की चर्चा नीचे की गई है:

(i) कम्पनी की विक्रेता पंजीकरण योजना (वीआरएस) में प्रावधान है कि कम्पनी द्वारा जारी निविदाओं/क्रय आदेशों में बयाना राशि (ईएमडी) एवं प्रतिभूति जमा राशि प्रस्तुत करने से पंजीकृत विक्रेताओं को छूट है। यह भी निर्धारित किया गया है कि पंजीकृत विक्रेता को सूचना प्राप्त होने के 60 दिनों की अवधि के अन्दर निर्धारित वसूली राशि जमा करनी आवश्यक है, इसमें विफल रहने पर बकाया राशि की वसूली बैंक गारंटी भुनाकर/नकद जमा राशि को जब्त करके की जायेगी।

कम्पनी ने वितरण ट्रांसफॉर्मर्स/उप-केन्द्र संरचनाओं की आपूर्ति के लिए वीआरएस योजना के अंतर्गत पंजीकृत तीन[16] आपूर्तिकर्ताओं को क्रय आदेश प्रदान किए (दिसंबर 2010)। यह पाया गया कि इन तीनों आपूर्तिकर्ताओं में से किसी ने भी आपूर्ति प्रारम्भ नहीं की। कम्पनी ने आपूर्तिकर्ताओं को (जनवरी 2011 से अक्टूबर 2012 तक) कई नोटिस दिए एवं उनसे किसी भी प्रत्युत्तर के अभाव में, क्रय आदेशों को निरस्त कर दिया (नवंबर 2012 एवं जनवरी 2013) एवं उनके साथ व्यापार संबंधों को तोड़ दिया। कम्पनी ने इन आपूर्तिकर्ताओं पर ईएमडी के बराबर राशि, जो ₹ 12 लाख थी, जमा करने की मांग की। निरस्तीकरण आदेशों के अनुसार, कम्पनी द्वारा, विक्रेता पंजीकरण के लिए इन आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटियों को भुनाया जाना था, परन्तु निरस्तीकरण आदेशों के जारी होने से छह वर्ष से अधिक समय बीतने के उपरान्त भी इनको नहीं भुनाया गया था (जून 2019)। इसके अतिरिक्त, प्रथम प्रकरण में, आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रदान की गई बैंक गारंटी जनवरी/फरवरी 2016 में कालातीत हो गई थी एवं कम्पनी के पास इस आपूर्तिकर्ता के प्रति कोई वित्तीय प्रतिभूति नहीं थी। साथ ही, जून 2019 तक यह सभी तीन क्रय आदेश वित्तीय समापन के लिए लंबित थे।

सरकार ने कहा कि प्रथम आपूर्तिकर्त्ता के प्रकरण में, संबंधित बैंक को बैंक गारंटी भुनाने के लिए स्मरण-पत्र जारी किया गया है (अगस्त 2019) एवं यदि वसूली योग्य राशि प्राप्त नहीं होती है, तो प्रकरण की सूचना भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को दी जाएगी। तथापि, उत्तर शेष दो प्रकरणों के संबंध में मौन था।

(ii) कम्पनी ने विद्युत मीटर एवं पॉवर ट्रांसफॉर्मर्स की आपूर्ति के लिए क्रमशः दो[17] अपंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को क्रय आदेश जारी किये (मार्च 2010 एवं दिसंबर 2010)। क्रय आदेशों के नियमों एवं शर्तों के अनुसार, इन आपूर्तिकर्ताओं ने विद्युत मीटरो के परीक्षण के पेटे बैंक गारंटी एवं ट्रांसफॉर्मर्स के लिए प्रतिभूति जमा/निष्पादन प्रतिभूति प्रदान की। लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रथम आपूर्तिकर्त्ता के प्रकरण में, परीक्षण हेतु आपूर्ति किये गये विद्युत मीटर्स निर्धारित मानकों/मापदंडों के अनुरूप नहीं थे, जबकि द्वितीय आपूर्तिकर्ता ने पॉवर ट्रांसफॉर्मर्स की आदेशित मात्रा की आपूर्ति करने में चूक की। कम्पनी ने द्वितीय आपूर्तिकर्ता को अपेक्षित मात्रा

16 टीएन-696 के तहत पीओ-5319, टीएन-696 के तहत पीओ-5313 एवं टीएन-748 के तहत पीओ-5190

17 टीएन-693 के तहत पीओ-4763 एवं टीएन-739 के तहत पीओ-5270

की आपूर्ति नहीं किये जाने के लिए कई नोटिस भी प्रदान किए (मई 2012 से नवंबर 2012 तक) । परीक्षण किये गये मीटरों की विफलता एवं पॉवर ट्रांसफॉर्मर्स की शेष मात्रा की आपूर्ति नहीं होने के कारण, कम्पनी ने दोनों क्रय आदेशों को क्रमशः परीक्षण में विफलता के पेटे कम्पनी के पास उपलब्ध ₹ पांच लाख की बैंक गारंटी को भुनाने एवं आपूर्ति में चूक हेतु गणना की गई वसूली के पेटे ₹ 22.32 लाख जमा करने के निर्देशों के साथ निरस्त कर दिया (मार्च 2010 एवं जनवरी 2013) । दूसरे प्रकरण में, आपूर्तिकर्ता ने अपेक्षित राशि जमा नहीं की थी। निरस्तीकरण आदेशों के अनुसार, कम्पनी द्वारा ₹ 27.32 लाख की शास्ति की वसूली के लिए इन आपूर्तिकर्ताओं की बैंक गारंटी भुनाई जानी थी, परन्तु निरस्तीकरण आदेशों के जारी होने से क्रमशः नौ वर्ष एवं छह वर्ष से अधिक समय व्यतीत के उपरान्त भी इसे भुनाया नहीं गया था (जून 2019)। इसके अतिरिक्त, प्रथम प्रकरण में, आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रदान की गई बैंक गारंटी अक्टूबर 2010 में कालातीत हो गई थी एवं कम्पनी के पास इस आपूर्तिकर्ता के प्रति कोई वित्तीय प्रतिभूति नहीं थी। साथ ही, जून 2019 तक दोनों क्रय आदेश वित्तीय समापन हेतु लंबित थे।

सरकार ने कहा कि प्रथम प्रकरण में, बैंक गारंटी भुनाने का पत्र जारी करने के उपरान्त भी, संबंधित बैंक से राशि प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए इस प्रकरण की सूचना आरबीआई को दी जाएगी। साथ ही, द्वितीय प्रकरण में, संयुक्त बैंक गारंटी भुनाने के लिए आदेश जारी किए गए हैं एवं शेष राशि कम्पनी के पास उपलब्ध अन्य वित्तीय प्रतिभूतियों से वसूल की जाएगी।

***कार्यों को सौंपने एवं अधिकार में लेने में विलम्ब***

**2.2.14** पांच चयनित टीडब्ल्यू ठेकों में से, जहां ठेकों का वित्तीय समापन किया जा चुका था, चार प्रकरणों में, लेखापरीक्षा ने देखा कि इन कार्यों को सौंपने एवं अधिकार में लेने में विलम्ब था जो कि सात माह व 17 माह के मध्य रहा था। इसकी गणना संबंधित कार्य के पूर्ण होने से एक माह की निर्धारित अवधि की पश्चात की गई थी। इसी प्रकार, नौ चयनित टीडब्ल्यू ठेकों के प्रकरण में, जहां ठेकों का वित्तीय समापन लंबित था, एक कार्य को सौंपने एवं अधिकार में लेने में आठ माह का विलम्ब था जबकि तीन प्रकरणों में कार्य सौंपने एवं अधिकार में लेने का विवरण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था। टीडब्ल्यू समूह ने भी इन कार्यों को सौंपने एवं अधिकार में लेने में विलम्ब करने के कारणों को दर्ज नहीं किया। इन प्रकरणों में कार्य के पूर्ण होने तथा सौंपने एवं अधिकार में लेने की तिथियों में व्यापक अंतर यह दर्शाता है कि टीडब्ल्यू समूह ने इन कार्यों को बिना यह सुनिश्चित किए पूर्ण माना कि इन कार्यों के अन्तर्गत बनाई गई लाईनों/जीएसएस संचालन के लिए संतोषजनक रूप से तैयार थे।

सरकार ने ठेकों के सामयिक वित्तीय समापन के लिए एक सुपरिभाषित कार्यप्रणाली अपनाने का आश्वासन दिया।

***अल्प मूल्य पर पूर्व समापन किए गए ठेकों की अप्रभावी निगरानी***

**2.2.15** कम्पनी ने वितरण/निम्न तनाव लाईनों एवं उप-केन्द्रों इत्यादि के लिए सामग्री/उपकरणों की आपूर्ति एवं स्थापना हेतु छह[18] टर्नकी कार्य ठेकों (दो चयनित ठेकों यथा टीएन-239 एवं 240 के सहित) का कार्यादेश ठेकेदार को प्रदान किया (अक्टूबर/नवम्बर

18 ओएण्डएम वृत, चूरू में टीएन 239 से 242 एवं ओएण्डएम वृत, बीकानेर में टीएन 244 व 245।

2014) जहां इन ठेकों का मूल्य ₹ 7.11 करोड़ व ₹ 15.17 करोड़ के मध्य था। इन प्रकरणों में, निष्पादित किये गये कार्य का वास्तविक मूल्य केवल ₹ 0.07 करोड़ व ₹ 1.56 करोड़ के मध्य था। वृत्त कार्यालयों ने इन प्रकरणों के पूर्व समापन के प्रस्ताव अग्रेषित किये (जनवरी 2017) एवं कहा कि पर्याप्त संख्या में कार्यों की कमी के कारण पूर्व समापन हुआ एवं इसलिए, संबंधित ठेकेदार का कोई दोष नहीं था। यद्यपि, निगम स्तर क्रय समिति (सीएलपीसी) ने पूर्व समापन करने की अनुमति प्रदान की(जून 2017), तथापि आदेशित कार्य एवं वास्तविक निष्पादित कार्य के मध्य भारी अंतर के कारण, सीएलपीसी ने इस संबंध में जांच हेतु एक समिति[19] का गठन किया। तथापि, प्रबंधन ने सीएलपीसी के निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित नहीं की क्योंकि उसने कोई जांच नहीं की थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि टीडब्ल्यू समूह ने इन प्रकरणों का समापन कर दिया (अगस्त 2017) एवं इन में से दो चयनित प्रकरणों में जमा प्रतिधारण राशि एवं निष्पादन बैंक गारंटी ठेकेदार को जारी कर दी थी। तत्पश्चात्, इन ठेकों के समापन हेतु प्रकरण सीएलपीसी के समक्ष पुनः रखा गया था (अगस्त 2017) जिसे अनुमोदित भी कर दिया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि ठेकेदार को अपेक्षित कार्य देने में असमर्थता के कारण, यह सभी छः ठेके को बहुत कम मूल्य पर समाप्त मान लिये गये थे। वास्तविक निष्पादित कार्य का मूल्य इन आदेशित मूल्य के कार्यों के 0.93 प्रतिशत व 21.94 प्रतिशत के मध्य था। यह इंगित करता है कि ठेके प्रदान करते समय कार्यों की मात्रा का आंकलन वास्तविक नहीं था। यहां तक कि यह तथ्य, कि अपेक्षित जांच नहीं की गई थी, सीएलपीसी के समक्ष आगामी बैठक में उजागर नहीं किया गया था। तथापि, सीएलपीसी ने भी इस मुद्दे का संज्ञान नहीं लिया था जो दर्शाता है कि कम्पनी का समग्र निगरानी तंत्र निष्प्रभावी था।

सरकार ने कहा कि कार्यों की अपर्याप्त मात्रा के कारण ठेके पूर्व समाप्त किये गये थे एवं संबंधित समिति सदस्यों को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है। तथ्य यह है कि विस्तृत जांच के अभाव में, आदेशित एवं वास्तविक निष्पादित कार्य के मध्य व्यापक अंतर के वास्तविक कारणों का आंकलन लेखापरीक्षा में नहीं किया जा सका, जहां उच्च दरों पर श्रम ठेकों के माध्यम से संबंधित कार्यों के निष्पादन, ठेकेदार को भारी शास्ति (अर्थात ठेकों के अनिष्पादित मूल्य का 10 प्रतिशत) से बचाकर अनुचित लाभ प्रदान करने जैसी अनियमितताओं की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

सरकार ने आगे कहा कि लेखापरीक्षा के निष्कर्षों एवं सिफारिशों ध्यान में रखते हुए, कम्पनी ने अपने कार्यकलापों में सुधार करने का निर्णय किया है एवं इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं (12 सितंबर 2019)।

19 वरिष्ठ लेखा अधिकारी (बीकानेर संभाग) एवं अधिशाषी अभियंता (तकनीकी लेखापरीक्षा) को सम्मिलित करते हुए।

## निष्कर्ष एवं सिफारिशें

*निष्कर्ष*

**कम्पनी ने प्रापण प्रबंधन सूचना प्रणाली (पीएमआईएस) को नहीं अपनाया था एवं ठेकों के वित्तीय समापन के लिए एक सुपरिभाषित एवं व्यापक कार्यप्रणाली स्थापित नहीं की थी। साथ ही, क्रय आदेशों/टर्नकी कार्यों के ठेकों के वित्तीय समापन संबंधित एसीओएस/ आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सत्यापित बिलों एवं प्राप्ति चालानों को प्रस्तुत नहीं करने, एसीओएस एवं एमएम समूह के मध्य कमजोर सम्प्रेषण प्रणाली, आपूर्तिकर्ताओं से वसूली करने में सुस्त दृष्टिकोण, लागू शास्ति की वसूली में विलम्ब/अवसूली, नाममात्र निष्पादित टर्नकी कार्यों के समापन एवं दोषी आपूर्तिकर्ताओं की बैंक गारंटी को नहीं भुनाने के कारण असामान्य रूप से विलंबित/अपूर्ण रहा।**

*सिफारिशें*

हम सिफारिश करते हैं कि कम्पनी:

- **प्रापण प्रबंधन सूचना प्रणाली (पीएमआईएस) को अपनाये;**
- **क्रय आदेशों/टर्नकी कार्य ठेकों के वित्तीय समापन के लिए उचित एवं व्यापक कार्यप्रणाली निर्धारित करे;**
- **ठेकों के वित्तीय समापन की प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाये जाने हेतु प्रणाली में विद्यमान कमियों जैसे कि संबंधित प्रपत्रों को प्रस्तुत नहीं किया जाना, कमजोर सम्प्रेषण तंत्र, अप्रभावी निगरानी, अपर्याप्त वित्तीय प्रतिभूति इत्यादि को समाप्त करे।**

## अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

### 2.3 *आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता के कारण गबन*

**कमजोर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं निगरानी ने कम्पनी के कार्मिक को बैंक ट्रांसफर एडवाइस में जाली प्रविष्टियों के माध्यम से वेतन अभिलेखों में हेरफेर करके ₹ 2.25 करोड़ का गबन करने का अवसर प्रदान किया।**

तात्कालिक राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (आरएसईबी) के विघटन के पश्चात 2000-01 में स्थापित हुई अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (कम्पनी) ने अपने विभिन्न अनुभागों/कार्यालयों[20] हेतु लेखांकन प्रक्रियाओं को परिभाषित करने के लिए वाणिज्यिक लेखा पुनर्गठन योजना (सीएआरएस) 1973 को अपनाया। सीएआरएस 1973, अन्य प्रावधानों के साथ, निम्नलिखित प्रावधान करती है :

- वृत लेखा कार्यालय (मुख्यालय/मुख्यालय वृत सहित) के विभिन्न अनुभागों के माध्यम से किए जाने वाले कार्य; लेखों के संधारण/ लेखा प्रविष्टियों की जाँच एवं भुगतान के

20 संस्थापना अनुभाग, रोकड़ अनुभाग तथा सामान्य लेखा अनुभाग।

लिए बिल पारित करने की प्रक्रिया से संबंधित लेखा अधिकारी (एओ) तथा सहायक लेखा अधिकारी (एएओ) की भूमिका तथा उत्तरदायित्व।

- संबंधित इकाईयों/अनुभागों द्वारा तैयार किए नियमित कार्मिकों के संस्थापन बिलों एवं बिलों का सार तथा बैंक ट्रांसफर एडवाइस[21] (बीटीए) की जाँच संस्थापना (ईए) अनुभाग द्वारा की जाएगी एवं तत्पश्चात व्यक्तिगत दावों की प्रविष्ठी वेतन एवं भत्ता जाँच पंजिका (सी-1) में की जाएगी। बिलों पर पारित आदेश लेखा अधिकारी के हस्ताक्षरों के तहत किए जाएंगे एवं समस्त पारित बिलों की प्रविष्ठी संबंधित इकाई/समूह से संबंधित वेतन एवं भत्ता विपत्र पंजिका (सी-2) में की जाएगी। बिल पारित होने के पश्चात, एक वाउचर आवंटन शीट (वीएएस) (सी -3) को तीन प्रतियों में तैयार किया जाएगा। वीएएस की मूल प्रति विधिवत पारित बिल एवं बीटीए के साथ रोकड़ अनुभाग में भुगतान के लिए भेजी जाएगी, दूसरी प्रति कटौती अनुसूची के साथ लेखांकन हेतु लेखा समूह को भेजी जाएगी एवं तीसरी प्रति ईए समूह में रखी जायेगी।
- रोकड़ समूह एक सामान्य **रोकड़ बही** (सी-4) संधारित करेगा। संबंधित एओ आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) होगा। संस्थापना बिलों के संवितरण के पश्चात रोकड़ समूह **रोकड़ बही** के भुगतान पक्ष में **रोकड़** में भुगतान की गई शुद्ध राशि की प्रविष्टि करेगा एवं इसका वर्गीकरण "वेतन/मजदूरी देय खाता" मद के अन्तर्गत भी करेगा। राजपत्रित अधिकारियों के संबंध में, भुगतान किये गये वाउचरों को वृत लेखा कार्यालय में पृथक रुप से रखा जाएगा।

साथ ही, विभिन्न बैंकों में संबंधित कार्मिकों के वेतन खाते के लिए, रोकड समूह मूल वीएएस व वेतन बिलों के साथ विभिन्न अनुभागों से प्राप्त बीटीए के आधार पर बैंक-वार बीटीए तैयार करता है। तत्पश्चात, बैंक-वार भुगतान वाउचर तैयार किए जाते हैं तथा संबंधित डीडीओ[22] के अनुमोदन करने पर बैंकों के माध्यम से वेतन का वितरण किया जाता है।

2017-19 के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने उजागर किया कि कम्पनी ने सीएआरएस 1973 में निर्धारित प्रणाली / प्रक्रियाओं का समुचित पालन सुनिश्चित नहीं किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि रोकड़ अनुभाग ने एक महीने के वेतन के संबंध में विभिन्न दिनांकों पर विभिन्न बैंकों हेतु एक से अधिक भुगतान वाउचर एवं बैंकवार बीटीए बनाये थे। साथ ही, संबंधित अनुभागों से दावों के समर्थन में प्राप्त हुए मूल दस्तावेज यथा वेतन बिल, कटौती अनुसूची आदि को रोकड़ समूह द्वारा तैयार किए गए बीटीए व भुगतान वाउचर के साथ संधारित करने के स्थान पर पृथक पत्रावलियों में रखे गये थे। परिणामस्वरूप, रोकड़िये द्वारा तैयार किए गए भुगतान वाउचर/बीटीए की सटीकता की जांच एवं ऐसे वाउचर/बीटीए में दावा की गई राशि का संबंधित समूह द्वारा प्रस्तुत मूल दस्तावेजों के साथ मिलान करना एक दुष्कर एवं जटिल कार्य हो गया। रोकड़िये ने रोकड़ समूह के एएओ द्वारा जांच/सत्यापित किये बिना वाउचर को

21 बैंक ट्रांसफर एडवाइस (बीटीए) एक विवरण है जिसे कर्मचारियों के बैंक खातों में वेतन जमा करने के लिए तैयार एवं बैंकों को प्रस्तुत किया जाता है। संस्थापन दावों के संबंध में, इसमें स्टॉफ कर्मियों के संबंध में नियत विवरण यथा नाम, पदनाम, कर्मचारी पहचान संख्या, बैंक खाता संख्या तथा शुद्ध वेतन राशि सम्मिलित होते हैं।

22 मुख्यालय स्तर पर वरिष्ठ लेखा अधिकारी (ईए व रोकड़) एवं वृत लेखा कार्यालय स्तर पर वृत लेखा अधिकारी।

संबंधित बीटीए के साथ सत्यापन एवं अनुमोदन हेतु सीधा एसएओ (ईए व रोकड़) को प्रस्तुत किया। राजपत्रित अधिकारियों के संबंध में एएओ/एसएओ (ईए व रोकड़) के स्तर पर प्रति-परीक्षण/सत्यापन किये बिना रोकड़िये द्वारा वेतन बिल/दावे तैयार, जांचे एवं पारित किए गए थे। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि राजपत्रित कार्मिको के वेतन बिल मई 2017 से अगस्त 2017 के दौरान, वेतन एवं भत्ता विपत्र पंजिका (सी -2) में प्रविष्टि किए बिना ही भुगतान के लिए पारित कर दिये गए थे। साथ ही, वेतन बिलों पर वाउचर संख्या तथा चेक संख्या अंकित नहीं किये गये थे एवं वाउचर को क्रमांक संख्या दिये बिना तथा हस्ताक्षर के बिना भुगतान के लिए पारित किये गये थे। यह भी पाया गया कि वाउचर के साथ संलग्न बीटीए का योग भुगतान के लिए पारित राशि से मेल नहीं खाता था एवं अप्रैल 2017 से सितंबर 2017 के लिए बैंक को भेजी गई समेकित सूचियों की प्रति गायब थी। साथ ही, कुछ बैंक खातों (कैशियर के बैंक खाते सहित) में विभिन्न भुगतान वाउचर एवं बीटीए के माध्यम से एक महीने में एक से अधिक बार वेतन जमा किया गया था। इसके अतिरिक्त, रोकड़ बही निर्धारित मानदंडों/नियमों के अनुसार जाँची व सत्यापित नहीं की गई थी। रोकड़िये को प्रभार, राजस्थान सरकार के सामान्य वित्तीय नियमों (भाग- I) के नियम 313 के अंतर्गत प्रदत्त अपेक्षित प्रतिभूति बंधन पत्र प्राप्त किए बिना सौंपा गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि इन कमियों के कारण संस्थापन एवं रोकड़ अनुभाग की तत्कालीन रोकड़िया[23] शुद्ध वेतन बिलों से अधिक राशि के चेक आहरित कर पाई एवं अपने व अन्य के बैंक खातों (कम्पनी के कर्मचारियों तथा गैर-कर्मचारियों सहित) में बीटीए में जाली प्रविष्टियों के माध्यम से राशि जमा की। दुर्विनियोजन/गबन की गई राशि की गणना ₹ 2.25 करोड़[24] थी। इस घटना के प्रकाश में आने के पश्चात कम्पनी ने इस प्रकरण की जांच हेतु एक उच्च स्तरीय समिति (एचपीसी) नियुक्त की (दिसम्बर 2018) । इसने बाद में एचपीसी के प्रतिवेदन के आधार पर एक प्रथम सूचना विवरण (एफआईआर) दायर की एवं दोषी रोकड़िया के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि कम्पनी द्वारा एक नियंत्रण बही खाता[25] संधारित किया जाता है जिसमें वेतन की देयता की प्रविष्टि संस्थापन समूह से प्राप्त वेतन बिलों/दावों के आधार पर की जाती है एवं इसका निपटान भुगतान जारी होने के पश्चात रोकड़ समूह से प्राप्त भुगतान वाउचर के आधार पर किया जाता है। इसलिए इस खाते/मद का शेष कभी भी डेबिट नहीं हो सकता क्योंकि इसका अर्थ यह होगा कि वेतन के निमित्त अधिक राशि का भुगतान जारी किया गया है। तथापि, 2017-19 के दौरान, अनेक अवसरों पर इस खाते/मद शेष डेबिट रहा परंतु लेखा समूह अधिक भुगतान जारी होने की निगरानी करने में विफल रहा। साथ ही, एसएओ (ईए एवं रोकड़) ने वाउचरों/बीटीए का सत्यापन एवं अनुमोदन मूल दस्तावेजों के साथ मिलान किये बिना किया एवं परिणामस्वरूप बीटीए में गैर-कर्मचारियों के बैंक खाता संख्या सम्मिलित होना, कुछ निश्चित बैंक खाता संख्याओं की पुनरावृति होना व कार्मिको की कर्मचारी पहचान

23 मुख्यालय एवं वृत कार्यालय (अजमेर शहर) में क्रमशः मई 2017 से जून 2018 तथा जून 2018 से अक्टूबर 2018 तक की अवधि में रोकड़िया के रूप में कार्यरत।

24 मुख्यालय एवं अजमेर (शहर) वृत में पदस्थापन के दौरान तत्कालीन रोकड़िये एवं उसके रिश्तेदारों के बैंक खातों के माध्यम से क्रमशः ₹ 179.80 लाख तथा ₹ 41.64 लाख एवं अन्य दो कर्मचारियों के बैंक खातों के माध्यम से ₹ 3.29 लाख का अधिक आहरण किया गया।

25 कार्मिकों के लिए देय शुद्ध वेतन (लेखा मद –देयता मद - 44.310)

संख्याओं, नामों एवं पदनाम इत्यादि का उल्लेख नहीं होना आदि पर ध्यान देने में विफल रहा था।

सरकार ने प्रत्युत्तर में इन तथ्यों को स्वीकार किया (जून 2019) एवं कहा कि लेखाधिकारी (ईए एवं रोकड़) के कार्यालय में कार्मिको की भारी कमी के कारण आंतरिक जांच प्रणाली यथोचित रूप से कार्य नहीं कर सकी। कम्पनी ने यह भी स्वीकार किया कि भुगतानों को तैयार करना, पारित करना एवं व्यवस्था करना आदि कार्य एक ही कर्मचारी द्वारा किये गए थे। इसने आगे कहा (अक्टूबर 2019) कि सुधारात्मक कदम यथा रिक्त पदों के विरुद्ध कार्मिको की भर्ती, लेखाधिकारी (ईए एवं रोकड़) के कार्यालय का पुनर्गठन, कार्मिको के मध्य कार्यों का उचित आवंटन, ईआरपी (मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली एवं वित्त मॉड्यूल सहित) का क्रियान्वयन आदि उठाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, दोषी रोकड़िया के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाई जा चुकी है जांच गठित की गई है एवं 14 दोषी कार्मिकों को आरोप पत्र जारी किए गए हैं। तथापि, राशि की वसूली अभी तक नहीं हुई है।

इस प्रकार, यथोचित निगरानी एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियाओं की पालना के अभाव में कम्पनी ने हानि वहन की।

## राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

### 2.4 *ग्रिड सब-स्टेशन एवं प्रसारण लाइनों का निर्माण*

**2.4.1** प्रसारण नियोजन, प्रसारण तंत्र की अतिरिक्त आवश्यकताओं, उनकी सामयिकता एवं मांग को चिन्हित करने की एक सतत प्रक्रिया है। प्रसारण आवश्यकताये (i) तंत्र में विद्युत उत्पादन में वृद्धि होने, (ii) मांग में वृद्धि होने (iii) भार में परिवर्तन के परिदृश्य में योजना मानदंडों के अनुसार स्थिरता प्राप्त करने हेतु आवश्यक तंत्र सुदृढ़ीकरण के कारण उत्पन्न हो सकती है। प्रसारण संवर्धन की यह आवश्यकताएं प्रसारण नियोजन प्रक्रिया के द्वारा चिन्हित, विचारित एवं सुनिश्चित की जाती है। देश में विद्यमान प्रसारण तंत्र में अन्तर्राज्यीय प्रसारण तंत्र (आईएसटीएस) एवं राज्यांतरिक प्रसारण तंत्र (इंट्रा एसटीएस) सम्मिलित हैं। राज्यांतरिक प्रसारण तंत्र का स्वामित्व एवं संचालन प्रत्येक राज्य की प्रसारण इकाईयों द्वारा किया जाता है। राज्यांतरिक तंत्र निम्न उद्देश्यों की पूर्ति करता हैः (i) राज्य के विद्युत उत्पादन केन्द्रों (सार्वजनिक व निजी दोनों क्षेत्रों में), जिसके लाभार्थी उसी राज्य में हो, से विद्युत का निकास, (ii) अंतर्राज्यीय प्रसारण तंत्र की सीमाओं से राज्य ग्रिड तंत्र के विभिन्न सब-स्टेशनों तक राज्य की सीमा के भीतर विद्युत का प्रसारण, (iii) राज्य की सीमाओं के भीतर भार केन्द्रों तक विद्युत आपूर्ति के लिए राज्य के ग्रिड तंत्र के भीतर प्रसारण।

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (कम्पनी) का समामेलन वर्ष 2000 में, राज्य में एक दक्ष, पर्याप्त एवं उचित रूप से समन्वित ग्रिड प्रबंधन प्रणाली एवं विद्युत का प्रसारण उपलब्ध कराने के अधिदेश के साथ हुआ। कम्पनी ने अपने कार्यक्षेत्र का विभाजन संभागीय मुख्य अभियंताओं के नेतृत्व में तीन[26] संभागोंएवं उनके अधीन अधीक्षण अभियंताओं के नेतृत्व में 24 प्रसारण व निर्माण (टीएंडसी) वृतों में कर रखा है। वर्ष 2016-17 के दौरान, कम्पनी ने

26 जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर

71293.857 मिलियन विद्युत इकाईयों (एमयूज) का प्रसारण किया था जो की 2017-18 में बढ़कर 74102.168 (एमयूज) एवं फिर 2018-19 में घटकर 71995.761 एमयूज हो गई। 31 मार्च 2019 को कम्पनी के पास 39588.824 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम)[27] का प्रसारण तंत्र एवं 82080.50 मेगा वोल्ट एम्पियर (एमवीए) को स्थापित क्षमता के 576 ग्रिड सब-स्टेशन (जीएसएस) थे। वर्ष 2016-19 के दौरान, कम्पनी ने 63 जीएसएस एवं 126 लाइनों (5625.932 सीकेएम की कुल लम्बाई) का निर्माण किया, जैसा कि **अनुबन्ध 5** में दर्शाया गया हैं।

## लेखापरीक्षा के उद्देश्य

**2.4.2** लेखापरीक्षा यह आंकलन करने के लिए की गई कि क्या जीएसएस/ लाइनों के निर्माण की योजना आवश्यकता आधारित थी, परियोजनाएं पारदर्शी तरीके से प्रदान की गई एवं इनका निष्पादन निर्धारित समयावधि में दक्षतापूर्वक एवं प्रभावी रूप से किया गया था। साथ ही, परियोजना के कार्यान्वयन की समीक्षा एवं परिकल्पित लाभों यथा उर्जा की बचत एवं प्रसारण तंत्र के सुदृढ़िकरण को सुनिश्चित करने के लिए एक सुदृढ़ निगरानी एवं आंतरिक नियंत्रण तंत्र विद्यमान था।

## लेखापरीक्षा का क्षेत्र

**2.4.3** वर्तमान लेखापरीक्षा में कम्पनी द्वारा जीएसएस एवं प्रसारण लाइनों के निर्माण से सम्बंधित गतिविधियां सम्मिलित हैं। लेखापरीक्षा संवीक्षा में मुख्य रूप से विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) एवं प्रसारण लाइनों/जीएसएस के निर्माण के लिए प्रदत्त ठेकों के समीक्षा सम्मिलित है। वर्ष 2016-19 के दौरान, कम्पनी ने 400 केवी की 14 लाइनें व 6 जीएसएस एवं 220 केवी की 30 लाइनें व 10 जीएसएस का निर्माण किया था। लेखापरीक्षा ने विस्तृत संवीक्षा के लिए 400 केवी के 10 कार्यों (3 जीएसएस एवं 7 लाइनें) एवं 220 केवी के 11 कार्यों (3 जीएसएस एवं 8 लाइनों) का आईडिया सॉफ्टवेयर के माध्यम से यादृच्छिक चयन किया। साथ ही, 31 मार्च 2019 को जीएसएस/प्रसारण लाइनों के निर्माण के 34 कार्य[28] प्रगतिरत थे।

## लेखापरीक्षा परिणाम

**2.4.4** लेखापरीक्षा परिणाम जिसमे मुख्य रुप से परियोजना नियोजन एवं निष्पादन, वित्तीय प्रबन्धन तथा निगरानी व आन्तरिक नियंत्रण से सम्बन्धित प्रकरणों को सम्मिलित है, पर चर्चा अनुच्छेद **2.4.5 से 2.4.10** में की गई है।

---

27 प्रसारण लाईन के मार्ग की लम्बाई को सर्किट किमी में मापा जाता है।

28 24 प्रसारण लाईनें (132 केवी:15 लाईने, 220 केवी: आठ लाईने एवं 400 केवी: एक लाईन) एवं 10 जीएसएस (132 केवी: पाँच जीएसएस, 220 केवी: चार जीएसएस एवं 400 केवी: एक जीएसएस)

अनुच्छेद **2.4.6, 2.4.7 एवं 2.4.9** में उजागर किये गये लेखापरीक्षा परिणाम केवल चयनित प्रकरणों के लेखापरीक्षा विश्लेषण पर आधारित है एवं इस प्रकार के और प्रकरण कम्पनी में होने की संभावना है। अतः सरकार/कम्पनी से यह अपेक्षा की जाती है कि समान कमियों/ अनियमितताओं की संभावना रखने वाले सभी प्रकरणों की समीक्षा करे एवं जहाँ समान कमियाँ/अनियमितताये पायी जाये वहाँ सुधारात्मक कार्यवाही करे।

लेखापरीक्षा परिणाम राज्य सरकार को 3 जनवरी 2020 को संप्रेषित किये गये थे। प्रबन्धन का उत्तर प्राप्त हो गया था (फरवरी 2020) एवं इसे अनुच्छेद में सम्मिलित कर लिया गया है जबकि राज्य सरकार का उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2020)।

## परियोजना का नियोजन एवं निष्पादन

***प्रसारण क्षमता का आंकलन***

**2.4.5** कम्पनी द्वारा लाइनों एवं जीएसएस का निर्माण विद्युत उत्पादन केन्द्रों से विद्युत निष्क्रमण एवं राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भार वृद्धि की पूर्ति हेतु किया जाता है। एक ट्रांसफार्मर वैकल्पिक विद्युत प्रवाह (एसी) व विद्युत प्रवाह को विभिन्न वोल्टेज में एवं विद्युत प्रवाह को अति उच्च क्षमता में परिवर्तित करता है। वोल्टेज स्तरों को प्रक्रिया में न्यूनतम हानियों के साथ एसी वोल्टेज में वृद्धि या कमी को प्राप्त करने हेतु बढ़ाया या घटाया जा सकता है। निष्क्रमण सामान्यतया 132 केवी जीएसएस पर किया जाता है।

लेखापरीक्षा ने कम्पनी के प्रसारण तंत्र की पर्याप्तता निर्धारित करने वाले मापदंड हेतु अनुरोध किया (अप्रैल 2019)। प्रबंधन ने सूचित किया (मई 2019) कि प्रसारण तंत्र का नियोजन, तंत्र में अतिरिक्त क्षमता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है जिससे की तंत्र में होने वाली विभिन्न आकस्मिकताओं/रूकावटों की स्थिति में स्थिरता की पूर्ति की जा सके। इसलिए प्रसारण क्षमता सदैव दर्ज किये गए उच्चतम भार से अधिक होती है। यह इसलिए आवश्यक है कि भार केन्द्रों को विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति/उत्पादित विद्युत का निष्क्रमण विद्युत कटौती अथवा उत्पादन को कम किये बिना किया जा सके। तथापि, कम्पनी ने इस सम्बन्ध में सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं करवाए थे।

लेखापरीक्षा ने पाया (अक्टूबर 2019) कि मार्च 2019 को समाप्त गत तीन वर्षों के दौरान, कम्पनी द्वारा वर्ष के अन्त में स्थापित प्रसारण क्षमता (यथा 132 केवी ट्रांसफार्मर्स की कुल प्रसारण क्षमता) के सन्दर्भ में संभाली गई क्षमता (डिस्कॉम एवं अन्य ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं से अनुबंधित क्षमता) एवं वर्ष के दौरान प्रसारित क्षमता (उच्चतम मांग पूर्ति) निम्न प्रकार से है:

**तालिका 2.4.1: स्थापित क्षमता, संभाली गई क्षमता एवं उच्चतम मांग**

| प्रसारण क्षमता (एमवीए में) | | | |
|---|---|---|---|
| **वर्ष** | **स्थापित** | **संभाली गई क्षमता** | **उच्चतम मांग** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** |
| 2016-17 | 29483 | 15912.95 | 9313.20 |
| 2017-18 | 30621 | 17320.43 | 10407.60 |
| 2018-19 | 31421 | 18545.54 | 11948.40 |

**नोट:** संभाली गई क्षमता एवं उच्चतम मांग की एमडब्ल्यू से एमवीए की गणना पावर फैक्टर को 0.90 मानते हुए की गई है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कम्पनी इस अवधि में अपनी स्थापित क्षमता का केवल 54 प्रतिशत से 59 प्रतिशत तक ही उपयोग कर पाई। लेखापरीक्षा ने प्रसारण ढांचे के आंकलन एवं निर्माण हेतु कारणों एवं अपनाये गए मानदंडों के विवरण का अनुरोध किया जिसके परिणामस्वरूप स्थापित क्षमता एवं उपयोग की गई क्षमता में वृहद अंतर उत्पन्न हुआ है। लेखापरीक्षा ने कम्पनी द्वारा अनुसरित अतिरिक्तता की प्रतिशतता के मानदंड का भी अनुरोध किया गया।

कम्पनी ने सूचित किया (फरवरी 2020) कि उसने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की प्रसारण नियोजन मापदंड नियमावली (जनवरी 2013) में नियत (एन-1) अवधारणा पर इसका प्रसारण तंत्र विकसित किया है जिसमें यह वर्णित है कि किसी आकस्मिक स्थिति जिसका अर्थ यह है कि तंत्र में अनपेक्षित परिस्थितियों का सामना करने हेतु पर्याप्त अतिरिक्त क्षमता होनी चाहिए, के कारण से ग्रिड में न्यूनतम व्यवधान होना चाहिए। लेखापरीक्षा ने देखा कि सीइए नियमावली में महत्पवूर्ण भार केन्द्रों जैसे कि रेलवे, विमानपत्तन, खदानों, स्टील संयंत्रों इत्यादि को विद्युत आपूर्ति के लिए 100 प्रतिशत अतिरिक्त क्षमता का मापदंड नियत है। साथ ही, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (निवेश अनुमोदन) विनियम 2006 132/220/400 केवी अतिरिक्त उच्च वोल्टेज (इएचवी) की नयी परियोजनाओं को प्रारम्भ करने के मापदंडों का वर्णन में किया गया है।

तथापि, कम्पनी द्वारा न तो नये जीएसएस को स्थापित करने/लाइनों के निर्माण के मानदंडो का विवरण उपलब्ध करवाया गया एवं ना ही यह बताया गया कि महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए 100 प्रतिशत अतिरिक्त क्षमता के मानदंड को सुनिश्चित किया गया था। इस प्रकार तथ्य यह है कि लेखापरीक्षा स्वयं को आश्वस्त नहीं कर सका कि कम्पनी ने प्रसारण तंत्र में पर्याप्त अतिरिक्त क्षमता को निर्धारित करने वाले मापदंड मानक का पालन किया है जो कि स्थापित क्षमता एवं संभाली गई क्षमता में बड़े अंतर के रूप में प्रकट होती है। कम्पनी ने निश्चित रूप से ही इस अतिरिक्त अप्रयुक्त क्षमता के निर्माण पर सारभूत वित्तीय भार वहन किया है। तथापि, इस सम्बन्ध में सटीक मानदंड/समंकों के अभाव में राशि की गणना नहीं की जा सकी।

***प्रसारण तंत्र का परियोजना नियोजन***

**2.4.6** एक प्रसारण परियोजना में परिकल्पना से अंतिम रूप से स्थापित किये जाने तक विभिन्न गतिविधियाँ समाहित होती है जैसे कि (i) परियोजना निरूपण, मूल्यांकन व अनुमोदन चरण एवं (ii) परियोजना निष्पादन चरण। परियोजना निष्पादन की समयावधि में कमी के लिए ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा गठित (फरवरी 2005) कार्य दल ने अनुशंसा की (जुलाई 2005) कि विभिन्न प्रारम्भिक गतिविधियाँ जैसे सर्वेक्षण, रुपरेखा एवं परीक्षण, वन तथा अन्य सांविधिक अनुमतियां, निविदा प्रक्रियाएं इत्यादि परियोजना मूल्यांकन एवं अनुमोदन चरण के अग्रिम/ सामानांतर रूप से प्रारम्भ करनी चाहिए; परियोजना निष्पादन समय में छः माह से 12 माह की बचत के लिए प्रसारण परियोजना को स्पष्ट रूप से परिभाषित पैकेज में विभाजित एवं टावर संरचना की रुपरेखा का मानकीकरण करना चाहिए। साथ ही, सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) के परियोजनाओं के समापन में होने वाले विलम्ब को टालने हेतु की गई कार्यवाही के प्रश्न के उत्तर में कम्पनी ने अवगत करवाया (जून 2015) कि निविदा की वैधता अवधि में कार्यादेश जारी करने, सर्वेक्षण के दौरान ही वन एवं अन्य सांविधिक अनुमतियों के लिए आवेदन करने, टावर के नक्शे व रूपरेखा का मानकीकरण एवं लाइनों व संबंधित जीएसएस के एक साथ निर्माण को सुनिश्चित करने से सम्बंधित निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

वर्तमान में चालू कार्यों की समीक्षा से उजागर हुआ कि मई 2012 व दिसम्बर 2018 के मध्य प्रदान किये गए कार्य नवम्बर 2012 व जुलाई 2019 के मध्य में पूर्ण किये जाने थे। लेखापरीक्षा ने यह पाया कि कुल 34 चालू कार्यों में से, 28 कार्यों की नियत समापन तिथि 31 मार्च 2019 से पहले की थी, तथापि, यह कार्य मार्ग-अधिकार (आरओडब्ल्यू), वन मंजूरी आदि की समस्याओं के कारण पूर्ण नहीं किये जा सके थे। नमूना जांच के प्रकरणों में, लेखापरीक्षा ने पाया कि कम्पनी ने वन मंजूरी (220 केवी झालावाड़–सीटीपीएस[29] एवं 220 केवी गजनेर–छतरगढ़ लाइन (100 किमी) के लिए समय से आवेदन नहीं किया था। साथ ही, लाइनों की पूर्वानुमानित लम्बाई वन क्षेत्र जीएसएस के स्थान में परिवर्तन इत्यादि के कारण में वृद्धि तथा कार्यादेश (200 केवी झालावाड़–सीटीपीएस एवं 220 केवी एसटीपीएस[30]–रतनगढ़ लाइन का लिलो) को अंतिम रूप देने में विलम्ब के प्रकरण भी थे, जिसके परिणामस्वरूप कार्यों को पूर्ण करने का अभाव/विलम्ब हुआ।

चयनित पूर्ण कार्यों की लेखापरीक्षा समीक्षा से उजागर हुआ कि कम्पनी ने प्रारंभिक गतिविधियाँ पूर्ण नहीं की थी, जो कि परियोजनाओं के समयबद्ध समापन के लिए आवश्यक थी। अनुपयुक्त परियोजना प्रबंध नियोजन एवं जीओआई की कार्य दल समिति की सिफारिशों की अनुपालना नहीं करने के कारण, परियोजनाओं में हुए विलम्ब के कुछ प्रकरणों पर **अनुबंध-6** में प्रकाश डाला गया है। अनुबंध से यह देखा जा सकता है कि कुछ प्रकरणों में जीएसएस एवं लाइनों की निर्माण योजना में समन्वय का अभाव था जिसके परिणामस्वरूप अन्य पूरक गतिविधियों के पूर्ण नहीं होने के कारण निर्मित संरचना का उपयोग नहीं हो पाया। लेखापरीक्षा ने देखा कि जीएसएस कार्यों को पूर्ण करने एवं लाइनों के निर्माण में क्रमशः 60 माह एवं 64 माह का विलम्ब था।

इस प्रकार, अनुचित नियोजन एवं जीओआई के कार्य दल समिति की सिफारिशों की अनुपालना नहीं करने के कारण उपर्युक्त वर्णित परियोजनाओं के निष्पादन में अत्यधिक विलम्ब हुआ एवं इसके परिणामस्वरुप ₹ 511.84 करोड़ की राशि अवरुद्ध रही। कम्पनी तंत्र एवं प्रसारण हानि के रूप में परिकल्पित उर्जा बचत (₹ 13.38 करोड़ के मूल्य की) से भी वंचित रही।

प्रबंधन ने कहा (फरवरी 2020) कि कार्य दल समिति द्वारा दी गई अधिकांश सिफारिशें लागू की जा रही हैं। इसने आगे कहा कि लाइन एवं जीएसएस के निष्क्रिय रहने के प्रकरण, इसके नियंत्रण से बाहर के कारणों जैसे कि परिकल्पित भार की तुलना में कम वृद्धि के कारण परिवर्तित स्थिति, केन्द्रीय प्रसारण उपक्रम की नयी अतिरिक्त उच्च वोल्टेज (इएचवी) परियोजनाएं, सौर एवं पवन उर्जा क्षेत्र की परियोजनाओं में विलम्ब व स्थगन, न्यायालय द्वारा रोक के आदेश एवं आरओडब्ल्यू समस्या से रहे थे। प्रत्युत्तर में बताये गये कारण विश्वसनीय नहीं है क्योंकि कार्यों को पूर्ण करने मे असामान्य विलम्ब पाया गया जिसे कि समुचित परियोजना प्रबंधन एवं निगरानी तंत्र के माध्यम से टाला जा सकता था।

### *प्रारंभिक गतिविधियों को पूर्ण करने का अभाव*

**2.4.7** सब-स्टेशन एवं प्रसारण लाइनों के निर्माण के लिए अन्य विभागों जैसे राजस्व, वन, रक्षा, उड्डयन, रेलवे इत्यादि से सांविधिक एवं कार्यनुमति आवश्यक होती है। तथापि, कम्पनी में

29 छबड़ा तापीय विद्युत केन्द्र

30 सूरतगढ़ तापीय विद्युत केन्द्र

विभिन्न परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए समयबद्ध अनुमतियां प्राप्त करने हेतु इन विभागों के साथ समन्वय सुनिश्चित करने हेतु उच्चतम स्तर पर कोई तंत्र नहीं है। परिणामस्वरूप, इन विभागों से अनुमतियां/अनापत्तियां प्राप्त करने में विलम्ब हुआ जिससे कि विभिन्न कार्यों को पूर्ण करने में भी विलम्ब हुआ। विवरण **अनुबंध-7** में दिये गये हैं।

अनुबंध में यह देखा जा सकता है कि कम्पनी द्वारा कार्य प्रदान किये पूर्व/समानान्तर प्रारंभिक गतिविधियां नहीं की गई थी। जैसे की आरओडब्ल्यू समस्या को समाप्त करने के लिए सर्वेक्षण एवं सम्बंधित विभागों/प्राधिकरणों से अनुमति प्राप्त करना। लेखापरीक्षा ने देखा कि सम्बंधित प्राधिकारियों से शीघ्र ही मंजूरी/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए उच्च स्तरीय प्रबंधन द्वारा संयुक्त प्रयास नहीं किये गए थे। साथ ही, कम्पनी ने समयबद्ध तरीके से रेखांकन का प्रस्तुतिकरण, शीतलन आधारों की ढ़लाई, ट्रांसफॉर्मर एवं सामग्री/अन्य सहायक वस्तुओं का क्रय एवं आपूर्ति को सुनिश्चित नहीं किया था जिसके परिणामस्वरूप परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलम्ब हुआ। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि अनुबंध में प्रतिवेदित आठ प्रकरणों में अनुमान वास्तविक आधार पर तैयार नहीं किये गए थे क्योंकि अंतिम बिलों की मात्रा तैयार करते समय मूल अनुमान से 23 प्रतिशत व 381 प्रतिशत के मध्य धनात्मक (+) एवं 16 प्रतिशत व 39 प्रतिशत के मध्य ऋणात्मक (-) विचलन पाया गया था जो कि यह इंगित करता है कि विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया था अथवा उचित तरीके से नहीं किया गया था। साथ ही, टर्नकी कार्यों के अन्तर्गत क्रय की गई लाइन सामग्री की जांच की अनुमति प्राप्त करने/प्रदान करने में भी विलम्ब था।

इस प्रकार, निष्पादन पूर्व की जाने वाली प्रारंभिक गतिविधियाँ नहीं किए जाने के कारण न केवल परियोजनाओं में विलम्ब हुये थे अपितु ₹ 1086.60 करोड़ की राशि भी अत्यधिक अवधि के लिए अवरुद्ध रही।

प्रबंधन ने कहा (फरवरी 2020) कि कार्यादेश से पूर्व लाइन का सर्वेक्षण करने से आरओडब्ल्यू की समस्या उत्पन्न होती है। इसने यह भी कहा कि वन एवं उड्डयन प्राधिकारियों से सांविधिक मंजूरी प्राप्त करने हेतु प्रत्येक टावर के जीपीएस निर्देशांक के साथ सम्पूर्ण लाइन का मार्ग-नक्शा आवश्यक होता है एवं यह समंक केवल लाइन का मार्ग निश्चित होने के पश्चात ही दिये जा सकते हैं। साथ ही, सांविधिक अनुमतियों के लिए एक समर्पित प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। मूल अनुमानों से अंतर लाइन की लम्बाई में वृद्धि एवं मृदा की परतों में परिवर्तन के कारण था। उत्तर से यह पुष्टि होती है कि प्रतिवेदित प्रकरणों में परियोजना के मूल्यांकन/अनुमोदन के अग्रिम/समानान्तर की जाने वाली विभिन्न प्रारंभिक गतिविधियाँ पूर्ण नहीं की गई थी।

## वित्तीय प्रबंधन

### *अंतरराष्ट्रीय स्तर/विदेशी बैंकों से ऋण*

**2.4.8** कम्पनी ने निजी क्षेत्र के नवीकरणीय उर्जा उत्पादन को आलम्बन प्रदान करने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र में प्रसारण संरचना क्षमता विकसित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के क्षेत्रीय विकास बैंक (बैंक) के साथ ऋण के लिए समझौता किया (12 सितम्बर 2014)। तद्नुसार, बैंक ने पश्चिमी राजस्थान में निजी क्षेत्र के नवीकरणीय उर्जा उत्पादन को आलम्बन प्रदान करने के लिए 400 केवी, 220 केवी एवं 132 केवी की प्रसारण लाइनों के निर्माण के साथ उपकरणों

की आपूर्ति एवं पूलिंग स्टेशन के निर्माण के लिए 150 मिलियन डॉलर का ऋण दो भागों में अर्थात 62 मिलियन डॉलर (सामान्य पूंजी संसाधन-3052) एवं 88 मिलियन डॉलर (स्वच्छ तकनीक कोष-8275) स्वीकृत किया। समझौते के अनुसार, ऋण राशि का संवितरण नहीं होने की दशा में प्रतिबद्धता प्रभारों के भुगतान का दायित्व था।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उजागर हुआ कि परियोजना नियत पूर्णता तिथि यथा 30 जून 2016, जैसा कि ऋण अनुबन्ध में वर्णित था, सामग्री के निरीक्षण में विलम्ब एवं कम्पनी के भाग पर अन्य कारणों के परिणामस्वरूप पूर्ण नहीं की जा सकी। अतः कम्पनी को सितम्बर 2015 से मार्च 2019 के दौरान निर्धारित समयसूची के अनुसार ऋण का संवितरण नहीं प्राप्त करने का कारण ₹ 2.56 करोड़ के प्रतिबद्धता शुल्क का भुगतान करना पड़ा था।

इसी प्रकार, *एक विदेशी विकास बैंक (विदेशी बैंक)* एवं भारत सरकार ने कम्पनी को सम्मिलित करते हुए विभिन्न सरकारी ऐजेन्सियों के माध्यम से राजस्थान में हरित उर्जा गलियारा परियोजना के अन्तर्गत राज्ययिक प्रसारण तंत्र हेतु नवीकरणीय ऊर्जा के निष्क्रमण के लिए प्रसारण संरचना को वित्त प्रदान करने के लिए एक ऋण अनुबंध पर हस्ताक्षर किये (17 दिसम्बर 2014)। सम्पादित अनुबंध के अनुसार विदेशी बैंक ने 49 मिलियन यूरो का ऋण स्वीकृत किया। ऋण अनुबंध का अनुच्छेद **3.1** निर्दिष्ट करता है कि कम्पनी को अवितरित ऋण राशी पर 0.25 प्रतिशत वार्षिक की दर से अप्रतिदेय प्रतिबद्धता शुल्क का भुगतान करना होगा। साथ ही, ऋण में सम्मिलित विभिन्न परियोजनाएं को ऋण स्वीकृति की तिथि से 30 माह (सभी परियोजनाओं में अधिकतम) के भीतर पूर्ण की जानी थी। तथापि, कम्पनी निर्धारित समयसूची के अनुसार संवितरण प्राप्त नहीं कर सकी एवं दिसम्बर 2015 से दिसम्बर 2018 के दौरान ₹ 1.79 करोड़ के प्रतिबद्धता शुल्क का भुगतान करना पड़ा था।

इस प्रकार, अनुपयुक्त नियोजन एवं कमजोर परियोजना प्रबंधन के कारण न केवल परियोजनाओं के निष्पादन में विलम्ब हुआ अपितु ₹ 4.35 करोड़ के प्रतिबद्धता प्रभारों का भुगतान भी करना पड़ा।

प्रबंधन ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (फरवरी 2020) कि यह योजना स्थगित कर दी गई थी क्योंकि पवन एवं सौर उर्जा विकासकर्ता पूर्व परिकल्पित गति से अपने संयंत्रों की स्थापना नहीं कर रहे थे एवं इस प्रकार इन परियोजनाओं पर किया गया निवेश निष्फल हो सकता था। उत्तर संतोषप्रद नहीं था क्योंकि कम्पनी को निजी विकासकर्ता के साथ इसकी गतिविधियों का समन्वय नहीं करने के कारण परिहार्य प्रतिबद्धता प्रभार वहन करना पड़ा था।

### *जोखिम एवं लागत राशि की वसूली का अभाव*

**2.4.9** कम्पनी ने जोधपुर (नया) में 400 केवी जीएसएस (आपूर्ति एवं निर्माण सहित) के निर्माण का कार्य ठेकेदार को ₹ 78.77 करोड़ की कुल लागत पर, फरवरी 2015 की नियत पूर्णता तिथि के साथ प्रदान किया (फरवरी 2013)। स्वीकृति पत्र (एलओए) के अनुसार, ठेकेदार को एलओए प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर संविदा करार सम्पादित करना एवं प्रतिभूति सुरक्षा राशि प्रस्तुत करना आवश्यक था। चूंकि ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था, कम्पनी ने ठेका निरस्त कर दिया (मई 2014) एवं ठेकेदार की जोखिम एवं लागत पर कार्य निष्पादित करवाने का निर्णय किया। तथापि, ठेकेदार के अनुरोध पर ठेका निरस्त किये जाने के निर्णय को जून 2014 में वापस ले लिया गया था। तथापि, ठेकेदार ने कार्य प्रारम्भ नहीं किया

एवं इसलिए 17 अक्टूबर 2014 को पुनः एक समाप्ति नोटिस जारी किया गया था एवं नोटिस अवधि की समाप्ति के 130 दिनों के पश्चात 12 मार्च 2015 को ठेका निरस्त कर दिया गया था। कम्पनी ने ठेकेदार द्वारा प्रदान की गई बैंक गारंटी को भुनाने का भी निर्णय लिया।

अभिलेखों की समीक्षा से उजागर हुआ कि कम्पनी बैंक गारंटी भुना नहीं सकी क्योंकि ठेका समाप्ति आदेश समुचित रूप से नहीं देने की दलील पर शहर सिविल न्यायालय, चेन्नई ने एकतरफा अंतरिम आदेश जारी किया था (मार्च 2015)। जिससे की तत्पश्चात, कम्पनी ने एक बार पुनः समाप्ति आदेश वापस लेने का निर्णय किया (8 अप्रैल 2015)। लेखापरीक्षा ने पाया कि कम्पनी द्वारा अनेक बार अनुरोध किये जाने के उपरान्त भी ठेकेदार ने कार्य प्रारम्भ नहीं किया था एवं बैंक गारंटी की वैद्यता भी नहीं बढ़ाई थी। अंततः 11 जुलाई 2016 को ठेकेदार की जोखिम व लागत पर ठेका समाप्त कर दिया गया था। इसके पश्चात कार्य नये ठेकेदार को प्रदान (दिसम्बर 2016) किया गया था एवं जो कि ₹ 112.75 करोड़ की कुल लागत पर पूर्ण (दिसम्बर 2018) हुआ था। इस प्रकार, ठेकेदार के जोखिम एवं लागत पर वसूली योग्य राशि ₹ 33.99 करोड़ की गणना की गई थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि इस तथ्य के उपरान्त भी कि ठेकेदार ने समय सीमा का अनुपालन नहीं किया था एवं समय से कार्य भी प्रारम्भ नहीं किया, कम्पनी ने ठेके को समाप्त करने के लिए समय पर कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की थी। साथ ही, कम्पनी ने ठेका समाप्ति के अपने निर्णय को दो बार वापस लेकर ठेकेदार को अदेय लाभ प्रदान किया। इसके अतिरिक्त, कम्पनी सितम्बर 2015 तक वैध ₹ 9.45 करोड़ की बैंक गारंटी को भुनाने में भी विफल रही। इसके अलावा, कम्पनी इसके पास उपलब्ध अन्य कार्यादेशों (टीएन-275 एवं टीएन 284) की ₹ 20.39 करोड़ मूल्य की बैंक गारंटी भुनाने में भी विफल रही।

इस प्रकार, ऐसे महत्वपूर्ण प्रकरण से निपटने में कम्पनी के लापरवाह दृष्टिकोण के कारण न केवल परियोजना के पूर्ण होने में 45 माह का विलम्ब हुआ अपितु ₹ 33.98 करोड़ का अतिरिक्त व्यय भी हुआ, क्योंकि यह बैंक गारंटी भुनाने एवं ठेकेदार से राशि वसूलने में असफल रही।

प्रबंधन ने कहा (फरवरी 2020) कि मामला न्यायालय में चल रहा है एवं इसलिए आधिक्य व्यय की वसूली प्रभावी नहीं की जा सकी। तथापि, उत्तर, अवसर पर कारवाई प्रारम्भ करने में विलम्ब, निर्णय वापस लेकर ठेकेदार को लाभ पहुंचाने एवं उपलब्ध बैंक गारंटियों को भुनाने के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने के संबंध में उत्तर मौन था। साथ ही, कम्पनी ने इन कमियों के लिए मई 2020 तक जवाबदेही तय नहीं की थी।

## निगरानी एवं आंतरिक नियंत्रण

**2.4.10** एक दक्ष एवं प्रभावी आंतरिक नियंत्रण एवं निगरानी तंत्र उद्देश्यों की समयबद्ध प्राप्ति में प्रबंधन की सहायता करता है तथा प्रक्रियाओं एवं वित्तीय अनुशासन की अनुपालना सुनिश्चित करता है। तथापि, यह देखा गया था कि कम्पनी ने जीएसएस/लाइनों के निर्माण से सम्बंधित कार्यों की भौतिक प्रगति की निगरानी के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं किया जिससे कि परियोजनाओं की समयबद्ध पूर्णता में आने वाली रूकावटों को चिन्हित किया जा सके। साथ ही, संचालक मंडल (बीओडी) की बैठकों में कार्यों की प्रगति प्रस्तुत नहीं की जाती थी।

परिणामस्वरूप, बीओडी परियोजनाओं की निगरानी नहीं कर सकी। इसके अतिरिक्त, अन्य महत्वपूर्ण मामले जैसे कि आरओडब्ल्यू समस्या, संबंधित प्राधिकारियों से सांविधिक अनुमतियां प्राप्त करने में विलम्ब, कार्यों के निष्पादन में ठेकेदारों की अरुचि इत्यादि भी बीओडी को अवगत नहीं करवाया गये थे।

कम्पनी की एक आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा है, तथापि, इसने उक्त शाखा के सुद्धृढ़ीकरण एवं स्वयं के कार्मिकों के प्रयासों में वृद्धि के लिए सनदी लेखाकारों (सीए) फर्मों को लगाया था। आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समीक्षा से लेखापरीक्षा ने देखा कि बाहरी स्त्रोत सीए फर्मों को सौंपे गए कार्य का क्षेत्र व्यापक नहीं था तथा कम्पनी ने इसकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा की आवश्यकताओं का आलोचनात्मक विश्लेषण नहीं किया था। साथ ही, सीए फर्मों के आक्षेप मुख्यतः प्रमाणन, भविष्य निधि जैसी वैधानिक कटौतियां नहीं करने, संस्थापन संबंधित मामले इत्यादि से संबंधित थे तथा आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन बीओडी को प्रस्तुत नहीं किये गये थे।

प्रबंधन ने कहा (फरवरी 2020) कि कार्यों के प्रगति की निगरानी नियमित बैठकों में की जाती है एवं समस्याओं के निराकरण के लिए कदम उठाये जाते हैं। कार्यों की गहन एवं नियमित निगरानी के लिए एक नया वृत्त 'गुणवत्ता नियंत्रण एवं निगरानी' बनाया गया है। इसने आगे कहा गया कि आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र की प्रभावशीलता एवं कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी। तथ्य यह है कि कार्यों की निगरानी पर्याप्त नहीं थी क्योंकि प्रतिवेदित सभी प्रकरणों में समस्याओं का समाधान समय से नहीं होने के कारण कार्यों के पूर्ण होने में असामान्य विलम्ब हुआ था। साथ ही, बीओडी को कार्यों की प्रगति प्रतिवेदन नहीं किये जाने के संबंध में उत्तर मौन था।

## उत्तम परिपाटियां

**2.4.11** लेखापरीक्षा संवीक्षा में कम्पनी की निम्नांकित उत्तम परिपाटियां उजागर हुईः

- प्रसारण हानियां आरईआरसी द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के भीतर संधारित की गई थी;
- उत्तरी क्षेत्र भार प्रेषण केंद्र (एनआरएलडीसी) द्वारा जहाँ उल्लंघन सन्देश जारी किये गये थे, उन पर कम्पनी ने समय से कार्यवाही की थी, क्योंकि यह पाया गया था कि ग्रिड अनुशासन के उल्लंघन के 1150 संदेशों की प्राप्ति के उपरान्त भी एनआरएलडीसी द्वारा कोई भी शास्ति अधिरोपित नहीं की गई थी।

## निष्कर्ष एवं सिफारिशें

### निष्कर्ष

**कम्पनी ने प्रसारण तंत्र में अतिरिक्त क्षमता का संधारण करने हेतु निर्धारित आदर्शों/मानकों की अनुपालना नहीं की थी जिसके परिणामस्वरूप स्थापित क्षमता एवं संभाली गई क्षमता में वृहद अंतर था। साथ ही, त्रुटिपूर्ण नियोजन एवं परियोजना प्रबंधन पर कार्य दल समिति की सिफारिशों की अनुपालना नहीं करने के कारण प्रसारण कार्य**

**निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं हुये थे। साथ ही, इन कार्यों के निष्पादन से पूर्व प्रारंभिक गतिविधियों को नहीं करने के कारण कार्यों के पूर्ण होने में विलम्ब हुआ एवं अत्यधिक समय के लिए राशि अवरुद्ध रही थी। इसके अतिरिक्त, अनुचित नियोजन एवं कमजोर परियोजना प्रबंधन के कारण भी कम्पनी द्वारा लिए गये ऋण पर प्रतिबद्धता प्रभारों का भुगतान करना पड़ा था। कम्पनी कार्यों की भौतिक प्रगति की प्रभावशाली निगरानी करने में असफल रही थी।**

***सिफारिशें***

कंपनी को चाहिये कि:

- **प्रसारण तंत्र में अतिरिक्त क्षमता को निर्धारित करने वाले आदर्शों/मानकों की पालना करे;**
- **प्रसारण परियोजनाओं को निर्धारित समयावधि में पूर्ण किये जाने को सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी कदम उठाये;**
- **अपनी आईटी सुविधाओं का उपयोग करते हुए कार्यों की भौतिक प्रगति की समयबद्ध निगरानी सुनिश्चित करे; एवं**
- **परियोजना को पूर्ण करने में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए समय-समय पर कार्यों की प्रगति से उच्च प्रबंधन को अवगत कराये।**